



31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉफी बोर्ड सामान्य निधि
की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा

सामान्य निधि लेखा विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i - iv
2	तुलन पत्र	1 - 2
3	आय एवं व्यय लेखा	3 - 4
4	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ / भवनों में जोड़ाई/प्रगतिशील पूँजीगत कार्य संबंधी विवरण	5 - 18
5	मीयादी जमाओं का विवरण	19
6	आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियाँ	20 - 25
7	समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा	26 - 27
8	समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा - चिह्नित निधियाँ	28 - 35
9	सार्थक लेखांकन नीतियाँ	36 - 38
10	आनुषंगिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	39 - 54

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलतः अंग्रेज़ी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इस प्रतिवेदन में कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेज़ी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु की लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कॉफ़ी अधिनियम, 1942 (अधिनियम सं. VII) की धारा 45 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के (कार्य, अधिकार एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत हमने यथास्थिति 31 मार्च 2021 को, कॉफ़ी बोर्ड, बेंगलूरु के सामान्य निधि और पूल निधि के संलग्न तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं अदायगी लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व कॉफ़ी बोर्ड के प्रबंधन पर है। लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड इत्यादि से संबंधित केवल लेखांकन विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलू इत्यादि के बारे में वित्तीय लेन-देन पर अगर कोई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हो तो, उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के द्वारा अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इस मानक द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम एक योजनाबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा करें जिससे हमें इस बात पर उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण अपकथनों से सर्वथा मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में निहित राशि एवं प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले प्रमाणों की परीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का तथा प्रबंधन द्वारा किए गए सार्थक प्राक्कलनों के साथ-साथ, वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का भी मूल्यांकन किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारी यह विचार हमारी लेखा परीक्षा के लिए युक्तिसंगत आधार पर बनी है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

- हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
- तुलन पत्र एवं आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व अदायगी लेखा से संबंधित इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- लेखा बही तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षण से, हमने विचार किया है कि कॉफ़ी अधिनियम 1942 (अधिनियम सं. vii) की धारा 45 के अधीन यथापेक्षित इन लेखा बहियों का कॉफ़ी बोर्ड द्वारा अब तक समुचित अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
- हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि :

I) सामान्य निधि

क) लेखाओं का परिशोधन

इस कार्यालय द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए अन्य विषयों के साथ-साथ कॉफ़ी बोर्ड के लेखाओं का परिशोधन किया गया था। सामान्य निधि पर लेखाओं के परिशोधन से यथा प्रभाव पड़ा कि (i) चालू देयताएँ व प्रावधान (अनुसूची 7) में 2.59 करोड़ रुपयों की वृद्धि, (ii) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम (अनुसूची 11) में 3.95 करोड़ रुपयों की कमी, (iii) अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) में 0.31 करोड़ रुपयों की कमी जिसके परिणामस्वरूप, "व्यय पर आय की अधिकता" में 6.85 करोड़ रुपयों की कमी और कॉर्पस निधि (अनुसूची 1) में 6.85 करोड़ रुपयों की कमी पाई गई है।

ख) लेखाओं पर टिप्पणियाँ तुलन पत्र : परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8) ₹ 94,73,44,184/-

3.1. उपरोक्त राशि में से 1.53 करोड़ रुपयों का मौजूदा कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय किया गया है। व्यय को मौजूदा भवनों पर लीकेज रोकने और राजस्व प्रकृति के अन्य नवीकरण कार्यों पर लगाया गया था। इसका पूँजीकृत करने के परिणाम, परिसंपत्तियाँ और 1.53 करोड़ रुपयों का व्यय पर आय की अधिकता के अत्युक्ति विवरण दर्शाया गया है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

उपरोक्त प्रभाव केवल चालू वर्ष से संबंधित है, ऐसी विसंगतियां, यदि कोई हो तो बोर्ड के प्रबंधन को उनका पिछले वर्ष की शेष राशि सुधार कर का भी परिशोधन किया जाना चाहिए।

3.2. उपरोक्त राशि में से 35.66 करोड़ रुपयों का आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष शामिल हैं। अनुसूची 25 के नोट संख्या 10 में बताए गए अनुसार, आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों का हसित मूल्यों को वास्तविक आधार पर लेखांकन किया गया है। तथापि, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान उन वृक्षों का मूल्यांकन नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्षों में इन वृक्षों के मूल्यांकन न करने से, मार्च 2021 को समाप्त तुलन-पत्र में दर्शाए गए अनुसार आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों के मूल्य की यथार्थता पर लेखापरीक्षा टिप्पणी न कर सके। आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों की नियमित रिपोर्ट करते हुए हानि के मूल्यांकन तथा निर्धारण पर समुचित लेखांकन नीति बनाने के लिए लेखापरीक्षा में सुझाव दिया गया है।

““““V”

आय व व्यय

आय- ₹ 1,90,19,66,075/-

3.3. बोर्ड ने लेखांकन मानक-12 के अनुच्छेद-14 में “अनुदान एवं समरूपी लेखा प्रारूप के लिए लेखांकन” के प्रावधानों के अधीन यथोपेक्षित ‘आस्थगित आय’ में सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों का लेखांकन करने स्थान पर परिसंपत्तियों का लेखा के नामे डालने तथा कॉर्पस निधि पर जमा करने का लेखांकन आदत अपनाई है। इसके परिणामस्वरूप, 65.00 लाख रुपयों का आय की न्यूनोक्ति विवरण और व्यय पर आय की अधिकता की न्यूनोक्ति विवरण दर्शाया गया है। साथ ही, 7.32 लाख रुपयों का अस्थगित आय का न्यूनोक्ति विवरण एवं कॉर्पस/पूजीगत निधि में अत्युक्ति विवरण भी दर्शाया गया है। इसके अलावा, सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास पद्धति का भी गैर-अनुपालन हुआ है, जिसका लेखांकन मानक-12 के अनुच्छेद-14 में “अनुदान एवं समरूपी लेखा प्रारूप के लिए लेखांकन” की अनुसूची 8 की टिप्पणियों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के कॉफी बोर्ड के लेखाओं पर इसके बारे में टिप्पणी की गई थी। तथापि, बोर्ड ने इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त 180 करोड़ रुपए तथा पिछले वर्ष से अग्रणीत 12.74 करोड़ रुपए की राशि में से, बोर्ड ने 5.63 करोड़ रुपए भारत सरकार को वापस किया तथा 7.11 करोड़ रुपए की राशि अव्ययित शेष के रूप में रखकर 180 करोड़ रुपए की राशि उपयोग किया जा सका।

II) सामान्य

4.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-15 के अपेक्षिताओं के विपरीत, बोर्ड ने बीमांकक से दिए गए सेवानिवृत्त लाभ का मूल्यांकन नहीं किया, जिससे पेंशन निधि में जमा किए गए पर्याप्त रकम और “कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ” शीर्ष के अधीन दर्शाए गए व्यय को वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में बीमांकृत नहीं किया जा सका।

वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, तथा 2019-20 के कॉफी बोर्ड के लेखाओं पर इसके बारे में टिप्पणी की गई थी। तथापि, बोर्ड ने इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

III) प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल न किए गए अपूर्ण लेखाओं के बारे में उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पृथक प्रबंधन पत्र के जरिए अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड, बेंगलूरु के ध्यान में लाया गया है।

V) पूर्ववर्ती अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व अदायगी लेखा, लेखा बहियों के अनुसार हैं।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

VI) हमारी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों एवं लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उपरोक्त वित्तीय विवरण, तथा उपरोक्त सार्थक विषय और इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सच्चा एवं सही चित्रण देता है :

क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2021 को यथास्थिति, कॉफी बोर्ड के सामान्य निधि एवं पूल निधि के मामलों का तुलन पत्र से संबंध रखते हैं ; तथा

ख) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष की सामान्य निधि के आय व व्यय लेखा के अपूर्ण लेखा से संबंध रखते हैं।

ग) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष की पूल निधि के आय व व्यय लेखा के अधिशेष से संबंध रखते हैं।

कृते / की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक

M. S. Subrahmanyam

(एम.एस. सुब्रमण्यम)

महा निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 10 दिसंबर 2021



परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र संगठन के विस्तार के अनुसार, पर्याप्त या अनुरूप नहीं था। वर्ष 2019-20 के लिए मुख्य कार्यालय के 15 एककों की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष 2019-20 में 90 क्षेत्र एककों में से, केवल 2 एककों (प्रभागीय प्रधान, ऊतक संवर्धन केंद्र, मैसूरु एवं आईसीडी, बेंगलूरु) में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी और शेष 88 एककों में, आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा बनाए गए अनुसार, कोविड महामारी के कारण, वर्ष 2020-21 में बोर्ड के सभी एककों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

निम्नलिखित के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी पाई गई है:

i) उपरोक्त मद सं. 1 के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति में कमियों के अलावा, यह देखा गया है कि कॉफी नियमावली, 1955 के नियम-18 के अनुसार, विभिन्न स्थायी समितियों का गठन नहीं किए गए थे जो दिसंबर 2018 से जनवरी 2021 तक अस्तित्व में न रहे, जिनके द्वारा कॉफी बोर्ड के विभिन्न कार्य किए जाते थे। ये समितियां 06.01.2021 के बाद ही गठित की गईं।

ii) जीएफआर 2017 {(नियम 211 (iii) (क)} के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को फॉर्म जीएफआर - 22 में सरकारी अनुदान से पूर्णतः या मुख्यतः अर्जित परिसंपत्तियों का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष के बाद, जून के अंत तक, तत्संबंध रजिस्टर की प्रति सरकार को वार्षिक प्रस्तुत की जानी चाहिए। उक्त प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा परिसंपत्तियों का रजिस्टर सत्यापित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि कॉफी बोर्ड द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति

बोर्ड ने आवधिक रूप से क्षेत्र कार्यालयों के अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया है। संगठन के विस्तार और कार्य प्रकृति के संबंध में बोर्ड के अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति समुचित और पर्याप्त थी।

4. वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति

संगठन के विस्तार एवं कार्य प्रकृति के संबंध में कॉफी बोर्ड की वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन पद्धति, समुचित एवं पर्याप्त थी। वर्ष 2020-21 के लिए, बोर्ड ने वस्तु-सूची/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड ने, निर्धारित अवधि में सभी सांविधिक देयों का नियमित रूप से भुगतान किया गया है।

(एम.एस. सुब्रमण्यम)

महा निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलनपत्र

(₹ में)

कॉर्पस/पूँजीगत निधि एवं देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	1,35,34,36,366	1,31,55,93,290
आरक्षित और अधिशेष	2		
चिह्नित/ अक्षय निधि	3	61,55,92,320	63,43,25,003
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4		
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित ऋण देयताएँ	6		
चालू देयताएँ व प्रावधान	7	39,79,88,577	43,50,75,712
योग		2,36,70,17,263	2,38,49,94,005
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ	8	94,73,44,184	92,91,79,326
निवेश-चिह्नित/ अक्षय निधियों से	9	60,48,48,902	54,26,22,785
निवेश-अन्य	10		
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	81,48,24,177	91,31,91,894
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)			
योग		2,36,70,17,263	2,38,49,94,005
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ व लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति समेकित तुलनपत्र

(₹ में)

	अनुसूची	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चिह्नित	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूँजीगत निधि एवं देयताएँ कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	1,38,54,79,165	-3,20,42,799		1,35,34,36,366	1,31,55,93,290
आरक्षित और अधिशेष	2					
चिह्नित/ अक्षय निधि	3			61,55,92,320	61,55,92,320	63,43,25,003
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4					
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5					
आस्थगित ऋण देयताएँ	6					
चालू देयताएँ व प्रावधान	7	23,43,37,020	14,64,74,869	1,71,76,688	39,79,88,577	43,50,75,712
योग		1,61,98,16,185	11,44,32,070	63,27,69,008	2,36,70,17,263	2,38,49,94,005
परिसंपत्तियाँ						
अचल परिसंपत्तियाँ	8	94,73,44,184			94,73,44,184	92,91,79,326
निवेश-चिह्नित/ अक्षय निधियों से	9			60,48,48,902	60,48,48,902	54,26,22,785
निवेश-अन्य	10					
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	67,24,72,001	11,44,32,070	2,79,20,106	81,48,24,177	91,31,91,894
विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)						
योग		1,61,98,16,185	11,44,32,070	63,27,69,008	2,36,70,17,263	2,38,49,94,005
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24					
आकस्मिक देयताएँ व लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25					

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(₹ में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	1,64,96,905	4,60,30,250
अनुदान/सब्सिडी (भारत सरकार से)	13	1,79,14,00,000	2,11,55,86,548
शुल्क/अभिदान	14		
निवेशों से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय-निधियों को अंतरित)	15		
रॉयल्टि, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	1,51,36,370	2,00,94,091
अन्य आय	18	7,53,06,914	10,10,54,394
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य	19	36,25,887	(-)62,54,513
योग (क)		1,90,19,66,075	2,27,65,10,770
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,22,70,28,480	1,37,14,94,143
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	9,93,09,497	16,17,52,628
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	48,50,06,382	51,76,84,941
सरकार को प्रतिदेय - (सीडीआरपी ब्याज पर आय का पूर्व अवधि समायोजन)		1,83,76,487	
मूल्यहास/ क्षति (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची 8 को संगत)		3,95,02,154	2,63,83,054
योग (ख)		1,86,92,23,000	2,07,73,14,766
व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		3,27,43,076	19,91,96,004
कॉर्पस/पूँजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष रकम		3,27,43,076	19,91,96,004
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय व व्यय लेखा

(₹ में)

विवरण	अनुसूची	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आय					
बिक्री/सेवाओं से आय	12	1,64,96,905		1,64,96,905	4,60,30,250
अनुदान/सब्सिडी (भारत सरकार से)	13	1,41,79,00,000	37,35,00,000	1,79,14,00,000	2,11,55,86,548
शुल्क/अभिदान	14				
निवेशों से आय (निवेश पर आय- चिह्नित/ अक्षय निधियों से - निधियों को अंतरित)	15				
रॉयल्टि, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	1,47,31,629	4,04,741	1,51,36,370	2,00,94,091
अन्य आय	18	7,52,12,708	94,206	7,53,06,914	10,10,54,394
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य	19	36,25,887		36,25,887	-62,54,513
योग (क)		1,52,79,67,128	37,39,98,947	1,90,19,66,075	2,27,65,10,770
व्यय					
स्थापना व्यय	20	1,22,70,28,480		1,22,70,28,480	1,37,14,94,143
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	9,93,09,497		9,93,09,497	16,17,52,628
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	11,15,06,382	37,35,00,000	48,50,06,382	51,76,84,941
सरकार को प्रतिदेय	23	1,83,76,487		1,83,76,487	
मूल्यहास हानि (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची 8 को संगत)	8	3,95,02,154		3,95,02,154	2,63,83,054
योग (ख)		1,49,57,23,000	37,35,00,000	1,86,92,23,000	2,07,73,14,766
व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		3,22,44,129	4,98,947	3,27,43,076	19,91,96,004
कार्पस/पूँजीगत निधि में अग्रनीत शेष					
सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24				
आनुषंगिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25				

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 1 व 2	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 1 कॉर्पस/ पूँजीगत निधि						
वर्ष 01.04.2020 के प्रारंभ में यथास्थिति शेष	1,34,81,35,036	1,13,12,66,963	-3,25,41,746	-2,49,69,677	1,31,55,93,290	1,10,62,97,286
परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्राप्त अनुदान (ओएनईआर-₹50,00,000 + एनईआर ₹1,00,000)	51,00,000	1,01,00,000			51,00,000	1,01,00,000
सकलेशपुर में बोर्ड की भूमि अधिग्रहण पर पूँजीगत अधिलाभ	-				-	-
कॉफी बागान - पूँजीकृत					-	-
आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष - पूँजीकृत					-	-
जोड़ें : आय व व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/ व्यय का शेष	3,22,44,129	20,67,68,073	4,98,947	-75,72,069	3,27,43,076	19,91,96,004
31.03.2021 को समाप्त वर्ष को यथास्थिति शेष	1,38,54,79,165	1,34,81,35,036	-3,20,42,799	-3,25,41,746	1,35,34,36,366	1,31,55,93,290
अनुसूची 2 : आरक्षित एवं अधिशेष						

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 3 : चिह्नित/ अक्षय निधि	पेंशन निधि		राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस)		भविष्य निधि		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का अथशेष	25,74,68,144	21,84,52,805	29,32,371	24,50,346	37,14,86,423	37,22,52,708	63,18,86,938	59,31,55,859
ख) निधियों में जोड़								
i) बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज	1,40,61,907	1,61,28,883	1,37,977	43,896	1,92,99,611	2,50,69,571	3,34,99,495	4,12,42,350
ii) बचत खाते से प्राप्त ब्याज		13,57,533	76,866	71,385	8,00,909	3,23,369	8,77,775	17,52,287
iii) शुल्क एवं अभिदान			2,18,37,820				2,18,37,820	
iv) अन्य प्राप्तियाँ	4,10,63,990						4,10,63,990	
v) गैर-योजना के जरिए	70,89,60,000	79,83,10,000					70,89,60,000	
vi) अभिदान एवं अंशदान				2,23,24,457	7,01,96,919	7,55,53,297	7,01,96,919	9,78,77,754
योग (क+ख)	1,02,15,54,041	1,03,42,49,221	2,49,85,034	2,48,90,084	46,17,83,862	47,31,98,945	1,50,83,22,937	1,53,23,38,250
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
ii) राजस्व व्यय								
क) वेतन, मज़दूरी एवं भत्ते आदि								
ख) अन्य प्रशासनिक व्यय (पेंशन भुगतान सहित)	77,86,87,332	77,67,80,932					77,86,87,332	77,67,80,932
ग) बैंक प्रभार		145						145
घ) स्कीम व्यय								
ङ) प्रेषण धन			2,17,16,982	2,19,57,713			2,17,16,982	2,19,57,713
च) प्रतिदेय, जमा एवं अन्य भुगतान								
छ) निकासी					5,66,18,000	5,56,21,200	5,66,18,000	5,56,21,200
ज) अंतिम निपटान					3,81,10,991	4,60,91,322	3,81,10,991	4,60,91,322
झ) अकस्मिक व्यय								
कुल व्यय	77,86,87,332	77,67,81,077	2,17,16,982	2,19,57,713	9,47,28,991	10,17,12,522	89,51,33,305	90,04,51,312
निधियों का अंतशेष (क)	24,28,66,709	25,74,68,144	32,68,052	29,32,371	36,70,54,871	37,14,86,423	61,31,89,632	63,18,86,938

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची 3 : चिह्नित/ अक्षय निधि	संपादकीय समिति		कॉफी बोर्ड क.हि. निधि		कॉफी बोर्ड क स ब स बीमा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का अथशेष	19,092	19,092	5,43,914	5,26,546	18,75,059	25,04,848	24,38,065	30,50,486
ख) निधियों में जोड़								
i) बैंक के जमा/बचत खाते पर प्राप्त ब्याज			14,871	16,720	46,872	67,484	61,743	84,204
ii) फ्लेक्सी खाता								
iii) शुल्क एवं अभिदान								
iv) अन्य प्राप्तियाँ								
v) एल आई सी से प्राप्त निपटारा					25,99,311	25,86,899	25,99,311	25,86,899
vi) टीडीएस प्रत्यावर्तन								
vii) अभिदान एवं अंशदान			720	648	3,66,300	3,99,925	3,67,020	4,00,573
viii) सावधि जमा परिपक्वता								
योग (क+ख)	19,092	19,092	5,59,505	5,43,914	48,87,542	55,59,156	54,66,139	61,22,162
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
ii) राजस्व व्यय								
क) वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय								
ख) अन्य प्रशासनिक व्यय								
ग) स्कीम व्यय								
घ) अंतिम निपटान					26,99,926	32,82,852	26,99,926	32,82,852
ङ) जी एस एल आई अभिदान का प्रेषण					3,63,525	4,01,245	3,63,525	4,01,245
च) विविध								
छ) मानदेय								
कुल व्यय	-	-	-	-	30,63,451	36,84,097	30,63,451	36,84,097
निधियों के अंत शेष (ख)	19,092	19,092	5,59,505	5,43,914	18,24,091	18,75,059	24,02,688	24,38,065
निधियों के अंत शेष का महायोग (क+ख)	24,28,85,801	25,74,87,236	38,27,557	34,76,285	36,88,78,962	37,33,61,482	61,55,92,320	63,43,25,003
अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण एवं उधार							शून्य	शून्य
अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण एवं उधार							शून्य	शून्य
अनुसूची 6: आस्थगित ऋण देयताएँ अधिशेष							शून्य	शून्य

उप सचिव (लेखा)



काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. चालू देयताएँ								
1. विविध लेनदार								
माल के लिए								
अन्य - कालातीत चेक का विपर्यय	71,40,459	50,13,148	56,65,083	56,32,789			1,28,05,542	1,06,45,937
विविध लेनदार (अन्य)	53,416	53,416					53,416	53,416
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल) ओएनईआर	85,55,853	79,35,915					85,55,853	79,35,915
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल) एनईआर	5,99,185	5,28,938					5,99,185	5,28,938
विविध लेनदार (ठेकेदारों को देय बिल) प्रोन्नयन एकक	7,68,723	7,68,723					7,68,723	7,68,723
कुल विविध लेनदार	1,71,17,636	1,43,00,140	56,65,083	56,32,789			2,27,82,719	1,99,32,929
2. प्राप्त अग्रिम								
बयाना राशि जमा/ प्रतिभूति जमा	68,93,732	1,56,50,333					68,93,732	1,56,50,333
किराया जमा	18,70,500	18,70,500					18,70,500	18,70,500
किराया अग्रिम (प्राप्त)	6,12,380	6,12,380					6,12,380	6,12,380
निष्पादन गारंटी प्रतिदेय	11,16,263	11,16,263					11,16,263	11,16,263
वेतन अग्रिम								
कुल प्राप्त अग्रिम	1,04,92,875	1,92,49,476					1,04,92,875	1,92,49,476
3. सांविधिक देयताएँ- अन्य कर एवं शुल्क								
बिक्री कर - ठेके का कार्य	41,808	41,808					41,808	41,808
कर व दर- वेट - बिक्री कर (अन्य)	18,28,323	20,04,852					18,28,323	20,04,852
टीडीएस अन्य	3,56,454	18,890					3,56,454	18,890
जीएसटी	23,90,535	38,29,080					23,90,535	38,29,080
जीएसटी (देय)	1,50,417	1,50,417					1,50,417	1,50,417
कुल सांविधिक देयताएँ	47,67,537	60,45,047					47,67,537	60,45,047
4. अन्य चालू देयताएँ								
क. वेतन एवं अन्य प्रभार देय								
अधिकारियों का वेतन (देय)	2,67,34,965						2,67,34,965	
स्थापना का वेतन (मूल वेतन)-(देय)		2,81,29,900						2,81,29,900
महंगाई भत्ता (देय)	48,08,958	47,88,687					48,08,958	47,88,687
प्रतिनियुक्ति भत्ता (देय)	18,000						18,000	
अन्य भत्ते (देय)	47,47,265	51,77,847					47,47,265	51,77,847
7वें सीपीसी बकाया (पूर्वोत्तर)								
यात्रा भत्ते (देय)		1,66,184						1,66,184
बिजली प्रभार- कार्यालय भवन (देय)		1,96,181						1,96,181
किराया - कार्यालय भवन (देय)	6,48,045						6,48,045	
पेंशन अंशदान (देय)	4,43,520	9,27,765					4,43,520	9,27,765
छुट्टी वेतन अंशदान (देय)	4,17,145	5,87,231					4,17,145	5,87,231
वर्दी (देय)								



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी.	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बाजार समर्थन स्कीम (बकाया भुगतान)								
योजना लेखा को देय								
संश्लिष्ट/ ट्यूशन शुल्क/ छात्रावास सब्सिडी (देय)	-	28,08,000	-	-	-	-	-	28,08,000
वापसी योग्य स ख अ (मूल धन)	11,167	11,167	-	-	-	-	11,167	11,167
गु नि अ पर प्रतिदेय ब्याज	28,604	28,604	-	-	-	-	28,604	28,604
प्रतिदेय गु नि अ (मूल धन)	2,424	2,424	-	-	-	-	2,424	2,424
स ख अ पर प्रतिदेय ब्याज	8,934	8,934	-	-	-	-	8,934	8,934
वापसी योग्य वै.क.अ.	71,377	3,239	-	-	-	-	71,377	3,239
वै.क.अ. पर प्रतिदेय ब्याज	-	2,934	-	-	-	-	-	2,934
फार्म अनुरक्षण (आनुवंशिक) (देय)	2,76,317	-	-	-	-	-	2,76,317	-
टेलिफोन प्रभार देय	-	1,49,623	-	-	-	-	-	1,49,623
जल प्रभार देय	-	1,06,765	-	-	-	-	-	1,06,765
प्रत्याहृत वेतन	2,00,410	2,00,410	-	-	-	-	2,00,410	2,00,410
भवन अनुरक्षण प्रभार (देय)	-	1,46,871	-	-	-	-	-	1,46,871
भवन अनुरक्षण- प्रभार (देय) एसएपी के अधीन प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
भविष्य निधि अनुभाग को देय टीडीएस	80,691	80,691	-	-	-	-	80,691	80,691
चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
समयोपरि भत्ता (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रम मजदूरी व भत्ता (देय)	6,21,410	2,21,396	-	-	-	-	6,21,410	2,21,396
मजदूर अग्रिम	-	2,37,075	-	-	-	-	-	2,37,075
परामर्श/ व्यावसायिक प्रभार (देय)	5,17,295	5,99,065	-	-	-	-	5,17,295	5,99,065
आतिथ्य प्रभार (देय)	-	1,64,665	-	-	-	-	-	1,64,665
प्रत्याहृत छुट्टी नकदीकरण	10,58,610	10,58,610	-	-	-	-	10,58,610	10,58,610
आतिथ्य प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
जेआरएफ (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण का अनुरक्षण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
पूल निधि को देय	15,948	-15,948	-	-	-	-	15,948	-15,948
डाक प्रभार (देय)	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000
इंडियन कॉफी के मुद्रण व प्रकाशन (देय)	-	54,072	-	-	-	-	-	54,072
व्यावसायिक प्रभार/ परामर्श प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
एसएपी के अधीन देय	-	3,28,466	-	-	-	-	-	3,28,466
आकस्मिक प्रभार देय	-	12,350	-	-	-	-	-	12,350
दूध खरीद देय	-	83,740	-	-	-	-	-	83,740
लेखा परीक्षा शुल्क देय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रेस विज्ञापन देय	-	-	-	-	-	-	-	-
चीनी की खरीद (देय)	-	27,346	-	-	-	-	-	27,346
मूल्य स्थिरीकरण निधि (देय)	29,143	29,143	-	-	-	-	29,143	29,143
वाहन की मरम्मत (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
डेटा एंटी ऑपरेटरों को मजदूरी (देय)	-	2,01,761	-	-	-	-	-	2,01,761
पुस्तकालय एवं पत्रिकाओं का अनुरक्षण (देय)	-	24,405	-	-	-	-	-	24,405
कंप्यूटर का अनुरक्षण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आईवीआर विस्तारण सेवा (देय)	54,290	54,290	-	-	-	-	54,290	54,290
अतिरिक्त आयकर की वापसी रसीद	7,905	7,905	-	-	-	-	7,905	7,905
देय किराया	-	6,48,045	-	-	-	-	-	6,48,045
गृह व्यवस्था प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
विकास ऋण वापसी, भारत सरकार को देय	-	-	13,01,134	13,01,134	-	-	13,01,134	13,01,134
टी.डी.एस फ्लेक्सी जमा (प्रत्यावर्तित किया जाना है)	-	4,18,735	-	-	-	-	-	4,18,735
रोस्टिंग प्रभार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला भंडार एवं रासायनिक संगोष्ठी/बैठक/अध्ययन दौरा	-	-	-	-	-	-	-	-
अनियत चालकों के लिए मजदूरी	-	14,234	-	-	-	-	-	14,234
ब्याज सब्सिडी (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
संसाधन हेतु समर्थन (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
आईईवीआर खाते में अंतरणीय	4,30,67,402	44,84,964	22,36,227	22,36,227	-	-	4,53,03,629	67,21,191
माल भाड़ा एवं कूली प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहनों का भाड़ा एवं परिवहन प्रभार (देय)	5,880	-	-	-	-	-	5,880	-
छुट्टी नकदीकरण (देय)	-	7,95,600	-	-	-	-	-	7,95,600
कानूनी प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
नई पेंशन, बोर्ड का योगदान (देय)	9,24,588	8,83,355	-	-	-	-	9,24,588	8,83,355
नई पेंशन, बोर्ड के कर्मचारियों का योगदान (देय)	6,45,938	23,295	-	-	-	-	6,45,938	23,295
ईपीएफ़, बोर्ड का योगदान (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
मुद्रण व लेखन सामग्री (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षा, पहरा व निगरानी (देय)	-	1,44,652	-	-	-	-	-	1,44,652
ठेके कार्य का प्रत्याहृत राशि (देय)	5,47,470	5,47,470	-	-	-	-	5,47,470	5,47,470
प्रतिनिर्धारित क्षति की वसूली ठेके का कार्य (प्रतिदेय)	1,42,634	1,42,634	-	-	-	-	1,42,634	1,42,634
प्रदर्शन अग्रदाय सं. अ, नई दिल्ली	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-
पीजीडी पाठ्यक्रम (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
टीएसपी के अधीन देय	-	-	-	54,00,000	-	-	-	54,00,000
एससी उप-योजना (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
छुट्टी यात्रा रियायत (देय)	31,07,048	-	-	-	-	-	31,07,048	-
सब्सिडी लेखा में देय	25,940	25,940	-	-	-	-	25,940	25,940
गैस (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
उपभोज्य वस्तुओं की खरीद (देय)	-	41,325	-	-	-	-	-	41,325
गृह व्यवस्था प्रभार (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
बोर्ड की बैठकों पर व्यय (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉफी पर विज्ञापन व प्रचार-प्रसार (देय)	1,50,000	1,28,110	-	-	-	-	1,50,000	1,28,110
पेंशन संराशिकरण (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्त उपदान (देय)	-	-	-	-	1,31,76,688	2,49,18,866	1,31,76,688	2,49,18,866
2006 से पूर्व -पेंशन (डीलिक) - (देय)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल अन्य देयताओं	8,94,44,323	5,49,40,157	35,37,361	89,37,361	1,31,76,688	2,49,18,866	10,61,58,372	8,87,96,384



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची -7 चालू देयताएँ एवं प्रावधान जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
5. देय धन-प्रेषण								
पी.बी.आर. प्रेषण	5,87,291	2,61,737	-	-			5,87,291	2,61,737
आयकर (आईटी) - पेंशनर्स	-	-	-	-		1,14,72,492	-	1,14,72,492
कुल देय धन-प्रेषण	5,87,291	2,61,737	-	-		1,14,72,492	5,87,291	1,17,34,229
6. अप्रयुक्त सरकारी अनुदान		1,38,00,000						1,38,00,000
सरकार को प्रतिदेय निधियाँ (सीडीआरपी)	6,28,80,505	6,28,80,505					6,28,80,505	6,28,80,505
सरकार को प्रतिदेय निधियाँ (सामान्य ओएनईआर)	1,93,24,230							
योग	8,22,04,735	7,66,80,505					8,22,04,735	7,66,80,505
कुल चालू देयताएँ (क)	20,46,14,397	17,14,77,062	92,02,444	1,45,70,150	1,31,76,688	3,63,91,358	22,69,93,529	22,24,38,570
ख. प्रावधान								
आईसीओ लंदन परियोजना में उपयोग हेतु अग्रनीत	66,05,775						66,05,775	
टी.आई.ई.एस. उपयोग के लिए अग्रनीत (2018-19 के दौरान प्राप्त अनुदान)		2,17,27,518						2,17,27,518
डिजिटल मीडिया अभियान के लिए प्रावधान		3,67,00,000						3,67,00,000
स्कीम व्यय हेतु प्रावधान	1,57,89,981						1,57,89,981	
एस ए पी के अधीन लंबित व्यय	4,78,800	4,78,800					4,78,800	4,78,800
एनईआर- चालू पूंजीगत कार्य (लंबित बिल)								
भारत सरकार को ऋण का प्रतिदेय हेतु प्रावधान			8,64,59,832	8,64,59,832			8,64,59,832	8,64,59,832
टीएएसपी देय			1,91,21,429				1,91,21,429	
निर्यात प्रोत्साहन देय			47,56,529	99,24,000			47,56,529	99,24,000
असंगत रकम	1,14,161	1,14,161					1,14,161	1,14,161
बाजार समर्थन देय			1,82,097				1,82,097	
पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाजार समर्थन स्कीम पर अधिशेष			15,22,341	23,58,328			15,22,341	23,58,328
सरकारी अनुदान-प्रतिदेय (एनईआर)								
जीएसटी पर टीडीएस (देय)	1,01,821						1,01,821	
भारत सरकार को ब्याज- प्रतिदाय प्रावधान			2,52,30,197	2,52,30,197			2,52,30,197	2,52,30,197
आयकर प्रतिदाय		2,95,960						2,95,960
पूंजीगत कार्यों के लिए प्रावधान	66,32,085						66,32,085	
बैंक प्रभार हेतु प्रावधान (देय)								
2006 से पूर्व -पेंशनर्स को बकाया (ग्रेड वेतन ₹4200 - ₹4600)					40,00,000	72,00,000	40,00,000	72,00,000
कुल प्रावधान (ख)	2,97,22,623	5,93,16,439	13,72,72,425	12,39,72,357	40,00,000	72,00,000	17,09,95,048	19,04,88,796
चालू देयताएँ एवं प्रावधान का योग (क + ख)	23,43,37,020	23,07,93,501	14,64,74,869	13,85,42,507	1,71,76,688	4,35,91,358	39,79,88,577	41,29,27,366

उप सचिव (लेखा)



काफ़ी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 अचल परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास		वर्ष के अंत तक योग	निवल ब्लॉक	पिछले वर्षों की यथास्थिति
		वर्षों में मूल्य/ मूल्यवकन	वर्षों के दौरान कटौतियाँ	वर्षों में यथास्थिति	वर्षों के दौरान जोड़			
क	अचल परिसंपत्तियाँ							
i	भूमि	9595233		9595233	0		9595233	9595233
ii	भवन	531561080	19667355	551228435	247808638	11417916	292001881	283752442
	भवन (टीआईईएस)	3766936	3582870	7349806	150678	218654	6980474	3616258
iii	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण	55005691	6153597	65961361	38605371	2495495	24860495	16400320
	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण (टीआईईएस)	3481711		3481711	0	348171	3133540	
	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण (एसएपी)	367602	0	367602	69844	29776	267982	297758
iv	फर्नीचर व फिक्सचर्स	26268002	113205	1652638	1765843		18537048	9496798
	फर्नीचर व फिक्सचर्स (टीआईईएस)	2313173	63300	2376473	63300	221378	384072	1992401
v	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण	81796897	9345503	146028	9491531	3310210	61423523	29864905
	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण (एसएपी)	119788	31020	150808	31020	12178	25700	125108
	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण (टीआईईएस)	87467850	2719831	90187681	7244786	8294290	15539076	74648606
vi	विभागीय वाहन	42269498	14284472	294587	14579059		26851838	29996719
vii	आर्टी हाइवेयर	49316342	3733085	1951116	5684201	3755230	50269756	4730788
	आर्टी हाइवेयर (एसएपी)	1171073	140325	140325		229846	1011390	300008
	आर्टी हाइवेयर (टीआईईएस)	1344030	0	204899		204899	1139131	204899
viii	आर्टी सॉफ्टवेयर	11313863	1047005	0	1047005	1701149	12360868	0
	आर्टी सॉफ्टवेयर (एसएपी)	577477	0	0	0	0	0	0
ix	पुस्तकालय के पुस्तकें	22283639	0	73582	73582	699326	16026498	6330723
x	काफ़ी बागान	114182440	0	73582	0	2283649	62023644	52158796
xi	आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष	356614516	0	0	0	0	0	356614516
	चायू वर्ष का योग (क)	1397335130	60458849	9091369	73283303	39502154	566737084	903303872
	पिछले वर्ष	1303008889	290078662	6615585	296694247	2197899	418901781	
ख	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (ख)							
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - ओएनईआर	50876180	4475999	525137	5001136	17943952	37933364	50876180
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - एनईआर	1723403			0	1723403	0	1723403
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य - ओएनईआर (कॉम)		5197442		5197442		5197442	
	प्रगतिशील कार्य पूंजी - एसएपी	3582870	909506	3582870			909506	3582870
	चायू वर्ष का योग (ख)	56182453	10582947	11108084	23250225	39502154	44040312	56182453
	महा योग (क+ख)	1453517583	60458849	9091369	84391387	527234930	947344184	925705176

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

अनुसूची 8 का अनुबंध

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु

I. 2020 -21 के दौरान भवन में जोड़ाई का विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	I अर्ध वर्ष	II अर्ध वर्ष	कुल	अभ्युक्तियाँ
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

II. 2020 -21 के दौरान भवन में जोड़ाई का विवरण - टीआईईएस के अधीन

क्र. सं.	कार्य का विवरण	I अर्ध वर्ष	II अर्ध वर्ष	कुल	अभ्युक्तियाँ
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

III. 31.03.2021 को यथास्थिति प्रगतिशील कार्य - ओएनईआर (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	31.03.2021 तक व्यय	देय राशि	अभ्युक्तियाँ
1	सीसीआरआई, बालेहोन्नूर में प्रशिक्षण केंद्र और बेंगलूरु में रोस्टिंग एकक का निर्माण	42,75,617	21,85,524	20,90,093	
2	आरसीआरएस, तांडिगुडी के (बैचुलर हॉस्टेल) के छत पर जस्ती लोहे की चादरों का प्रावधान	11,87,784		11,87,784	
3	डॉरमिट्री तथा वेहिकल शेड के छत पर जस्ती लोहे की चादरों का प्रावधान (गोणिकोप्पलु)	7,92,902		7,92,902	
4	उर्वरक गोदाम के छत पर जस्ती लोहे की चादरों का प्रावधान (सकलेशपुरा)	9,30,357		9,30,357	
	योग	71,86,660	21,85,524	50,01,136	

IV. 31.03.2021 को यथास्थिति प्रगतिशील पूँजीगत कार्य - ओएनईआर (स्कीम)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	31.03.2021 तक व्यय	देय राशि	अभ्युक्तियाँ
1	डॉरमिट्री तथा मजदूर क्वार्टर्स हेतु जस्ती लोहे की चादरों का प्रावधान (मानंतवाडी)	27,96,511		27,96,511	
2	कॉफी गोदाम तथा सीड कॉफी चेंबर के निर्माण (प्रौ.मू.कें., कल्पेट्टा)	24,00,931		24,00,931	
	योग	51,97,442	-	51,97,442	



V. 31.03.2021 को यथास्थिति पूंजीगत कार्य - एसएपी

(₹ में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	31.03.2021 तक व्यय	देय राशि	अभ्युक्तियाँ
1	मजदूर क्वार्टर्स के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण (सीसीआरआई)	3,83,784		3,83,784	
2	शौचालयों का निर्माण (प्रौ. मू. कें., कल्पेट्टा)	4,25,357		4,25,357	
3	पुरुषों एवं महिलाओं के शौचालय का नवीनीकरण (आरसीआरएस तांडिगुडी)	3,35,365	2,35,000	1,00,365	
	योग	11,44,506	2,35,000	9,09,506	

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 8 क - अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		वर्षारंभ में मूल्य/ मूल्यांकन	2020-21 के दौरान जोड़			वर्षात में मूल्य/ मूल्यांकन	वर्षारंभ में यथास्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्षात तक योग	चालू वर्षात को यथास्थिति	पिछले वर्षात को यथास्थिति
			I अर्धवर्ष	II अर्धवर्ष	योग							
क	अचल परिसंपत्तियाँ											
I	भूमि											
II	भवन											
III	संयंत्र, मशीनरी व एस्टेट उपकरण	53,55,878				53,55,878				53,55,878	53,55,878	
IV	फर्नीचर व फ़िक्सचर्स					-				-		
V	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरण					-				-		
VI	वाहन	22,85,939				22,85,939				22,85,939	22,85,939	
VII	आईटी हार्डवेयर	40,966				40,966				40,966	40,966	
VIII	आईटी सॉफ़्टवेयर					-				-		
IX	पुस्तकालय के पुस्तकें	2,98,300				2,98,300				2,98,300	2,98,300	
	चालू वर्ष का योग	79,81,083				79,81,083				79,81,083	79,81,083	
	पिछले वर्ष का योग	79,81,083				79,81,083				79,81,083	79,81,083	
									महायोग	79,81,083	79,81,083	

यह अनुसूची केवल पूर्व मौजूदा विभिन्न परियोजनाओं के तहत अर्जित संपत्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रस्तुत की गई है तथा इसका प्रभाव सामान्य निधि लेखाओं पर नहीं पड़ेगी।

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची - 9, 10 एवं 11

अनुसूची - 9: चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य जमा खाता					60,48,48,902	54,26,22,785	60,48,48,902	54,26,22,785
जमा खाता							-	-
योग					60,48,48,902	54,26,22,785	60,48,48,902	54,26,22,785

अनुसूची-10: निवेश - अन्य								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
क. चालू परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वस्तु सूची								
क. भंडार माल								
तैयार माल (एन.ई.आर विपणन में न बिके हुए भंडार)								
कच्चा कॉफी का भंडार	1,54,74,702	1,19,72,504	-	-			1,54,74,702	1,19,72,504
उपभोज्य वस्तुएँ	-	7,00,723	-	-			-	7,00,723
व्यापारिक वस्तुएँ	46,21,368	37,96,956	-	-			46,21,368	37,96,956
योग	2,00,96,070	1,64,70,183	-	-	-	-	2,00,96,070	1,64,70,183
2. विविध देनदार								
रोपकों से अतिदेय - मूलधन एवं ब्याज	-		8,64,59,832	8,64,59,832			8,64,59,832	8,64,59,832
उधार बिक्री	1,38,83,995	1,19,01,412	-	-			1,38,83,995	1,19,01,412
अन्य विविध देनदार	55,994	55,994	-	-			55,994	55,994
विविध देनदार (सेवा कर) / जीएसटी (प्राप्य)	10,05,669	10,05,667	-	-			10,05,669	10,05,667
अन्य - बैंक में जमा	5,000	5,000	-	-			5,000	5,000
विविध देनदार के अप्राप्त चैक का प्रत्यावर्तन	34,38,597	34,38,597	-	-			34,38,597	34,38,597
बी.डी.ए से प्राप्य	3,03,619	3,03,619	-	-			3,03,619	3,03,619
विविध देनदार (सेवा कर)	57,009	57,009	-	-			57,009	57,009
योग	1,87,49,883	1,67,67,298	8,64,59,832	8,64,59,832	-	-	10,52,09,715	10,32,27,130
3. हस्तगत नकद शेष								
मुख्य कार्यालय	12,129	2,454	-	-			12,129	2,454
क्षेत्र कार्यालय	-	37,835	-	-		169	-	38,004
योग	12,129	40,289	-	-	-	169	12,129	40,458
3(क). मार्गस्थ रोकड़								
मार्गस्थ रोकड़	-	-	-	18,42,000			-	18,42,000
योग	-	-	-	18,42,000	-	-	-	18,42,000
4. बैंक शेष								
क) अनुसूचित बैंकों में								
चालू खाते में, मु. का.	57,04,96,140	8,89,28,276	2,23,25,534	1,23,06,188			59,28,21,674	10,12,34,464



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
चालू खाते में, क्षेत्र कार्यालय	79,07,780	1,82,55,782	46,68,507	45,55,861			1,25,76,287	2,28,11,643
जमा खाते में	-	-	-	-			-	-
बचत खाते में (मुख्य कार्यालय)	-	-	-	-	1,27,81,732	10,65,72,468	1,27,81,732	10,65,72,468
बचत खाते में (फील्ड कार्यालय)	-	-	-	10,001			-	10,001
चालू खाते से बदल कर फ्लेक्सी जमा पर (मु. का)	-	48,59,99,433	-	-			-	48,59,99,433
योग	57,84,03,920	59,31,83,491	2,69,94,041	1,68,72,050	1,27,81,732	10,65,72,468	61,81,79,692	71,66,28,009
5. डाक एवं फ्रैंकिंग मशीन का शेष	10,184	10,184					10,184	10,184
योग	10,184	10,184					10,184	10,184
महायोग - क	61,72,72,186	62,64,71,445	11,34,53,873	10,51,73,882	1,27,81,732	10,65,72,637	1,34,83,56,692	83,82,17,964
ख. ऋण अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ								
1. ऋण								
क) स्टाफ								
वै. क. अ. (पीसीए)	-	-35,546	-	-			-	-35,546
सवारी खरीद अग्रिम	-	-	-	-			-	-
गृह निर्माण अग्रिम	-	-	-	-			-	-
छु या रि/ या भ अग्रिम	33,76,425	24,02,884	-	-			33,76,425	24,02,884
चिकित्सा अग्रिम	13,40,924	11,40,924	-	-			13,40,924	11,40,924
त्योहार अग्रिम (स्टॉफ)	19,12,000	-	-	-				
त्योहार अग्रिम (मजदूर)	28,000	-	-	-				
मृत्यु राहत अग्रिम	33,000	8,000	-	-			33,000	8,000
योग	66,90,349	35,16,262	-	-	-	-	47,50,349	35,16,262
2. प्राप्त मूल्य के लिए या नकद या वस्तु रूप में वसूलीय अग्रिम एवं अन्य रकम								
क) पूँजीगत लेखा पर								
मार्गस्थ रोकड़ हेतु प्रावधान	2,60,745	260745	-	-			2,60,745	2,60,745
बंद एककों की लेखा	2,40,181	2,40,181	-	-			2,40,181	2,40,181
आईबीआर से प्राप्य			25,940				25,940	-
आयकर प्राधिकारियों द्वारा जप्त निधियाँ	3,59,885	3,59,885	-	-			3,59,885	3,59,885
प्रतिभूति जमा	-	-	-	-			-	-
उच्च न्यायालय में जमा	3,62,988	3,62,988	-	-			3,62,988	3,62,988
टी.डी.एस फ्लेक्सी जमा (प्रत्यावर्तित किया जाना है)	22,50,875	22,50,875	-	-			22,50,875	22,50,875
वाणिज्य कर प्राधिकारियों द्वारा जप्त योजना स्कीम प्रोन्नयन व्यय	-	-	-	-			-	-
वसूली योग्य टीडीएस	40,574	40,574	-	-			40,574	40,574
एककों को अंतर-निधि का अंतरण	71,16,882	3,60,361	-	-			71,16,882	3,60,361
प्राप्य चैट प्रतिदेय प्राप्य	14,959	14,959	-	-			14,959	14,959
अग्रणीत योग	11095002	4338481	25940				11120942	4338481



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची-11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		चिह्नित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ख) पूर्व-भुगतान								
पेट्रो कार्ड अग्रिम (प्री-पेड पेट्रोल अग्रिम)	11,00,001	8,24,231	-	-			11,00,001	8,24,231
आनवर्षिक अग्रिम	58,15,702	63,94,095	-	-			58,15,702	63,94,095
सेल्व कुमार, उ.नि.अ, चुंडेल (निलंबित)	4,90,004	4,90,004	-	-			4,90,004	4,90,004
सेवा एवं आपूर्ति हेतु अग्रिम	1,496	1,496	-	-			1,496	1,496
प्रदर्शनी के लिए अग्रिम	1,73,281	1,61,225	-	-			1,73,281	1,61,225
वैट के साथ अग्रिम	4,83,490	4,83,490	-	-			4,83,490	4,83,490
लो.नि.वि, दिफू के साथ जमा अंशदान कार्य (अग्रिम)	41,00,000	41,00,000	-	-			41,00,000	41,00,000
ग) अन्य								
कालातीत चेक/ एनईएफटी का प्रत्यावर्तन	6,21,043	6,21,043	-	-			6,21,043	6,21,043
किराया अग्रिम राशि	1,20,000	1,20,000	-	-			1,20,000	1,20,000
के.ई.बी में जमा राशि	1,15,507	1,15,507	-	-			1,15,507	1,15,507
टेलीफोन में जमा राशि	60,396	60,396	-	-			60,396	60,396
गैस में जमा राशि	43,248	43,248	-	-			43,248	43,248
टी.एन.ई.बी में जमा राशि	8,990	8,990	-	-			8,990	8,990
बिजली जमा	3,70,400	3,70,400	-	-			3,70,400	3,70,400
बिक्री कर जमा	5,000	5,000	-	-			5,000	5,000
प्राप्य किराया	21,57,802	14,82,225	-	-			21,57,802	14,82,225
योजना खाते से प्राप्य (आईईबीआर)			-	25,940			-	25,940
निधियों का अंतरण	1,01,53,609	1,06,64,615	3,96,818	2,45,500			1,05,50,427	1,09,10,115
पेंशन से प्राप्य	200	200	-	-			200	200
बिजली हेतु अग्रिम	10,000	10,000	-	-			10,000	10,000
स्टॉफ से वसूली योग्य अनुलाभ कर	1,89,672	1,89,672	-	-			1,89,672	1,89,672
प्रतिभूति जमा	-	-	1,27,000	1,77,000			1,27,000	1,77,000
प्रत्यावर्तन योग्य फ्लेक्सी पर टीडीएस	-	-	4,28,439	4,28,439			4,28,439	4,28,439
भविष्य निधि अग्रिम (वसूली योग्य)	-	-	-	-	10,99,769	14,58,594	10,99,769	14,58,594
आयकर अधिकारियों व स्टॉफ	4,69,749	4,85,552	-	-				
ईपीएफ कर्मचारियों के अंशदान	-	-	-	-			-	-
आयकर प्रतिदाय			-	-	1,70,034	1,70,034	1,70,034	1,70,034
योग	3,75,84,592	3,09,69,870	9,78,197	8,76,879	12,69,803	16,28,628	3,93,62,843	3,29,89,825
3. उपचित आय								
स्टॉफ के ऋण पर अदेय उपचित ब्याज	34,38,491	34,38,491	-	-			34,38,491	34,38,491
बचत खातों पर उपचित ब्याज	-	-	-	-			-	-
जमाओं पर उपचित ब्याज	-	-	-	-	1,38,68,571	2,70,92,311	1,38,68,571	2,70,92,311
स्टाफ अग्रिम की वसूली तथा वर्तमान अग्रिम से संबंधित बकाया पर उपचित ब्याज	3,33,818	3,34,819	-	-			3,33,818	3,34,819
उपचित ब्याज- फ्लेक्सी लेखा पर	71,52,565	71,52,565	-	-			71,52,565	71,52,565
योग	1,09,24,874	1,09,25,875	-	-	1,38,68,571	2,70,92,311	2,47,93,445	3,80,18,186
योग (ख)	5,51,99,815	4,54,12,007	9,78,197	8,76,879	1,51,38,374	2,87,20,939	6,89,06,637	7,45,24,273
योग (क+ख)	67,24,72,001	67,18,83,452	11,44,32,070	10,60,50,761	2,79,20,106	13,52,93,576	81,48,24,176	91,32,27,789

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

काँफी बोर्ड : बेंगलूरु
31.03.2021 को यथास्थिति मीयादी जमा संबंधी विवरण

अनुसूची-9 का अनुबंध

(₹ में)

क. भविष्य निधि लेखा

क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31.03.2021 तक उपचित ब्याज
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कूक टॉउन शाखा	19.05.2020 से 19.05.2021 तक	5.75%	1,00,00,000	4,97,808
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधी नगर शाखा	19.05.2020 से 19.05.2021 तक	5.75%	1,00,00,000	4,97,808
3	केनरा बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा	19.05.2020 से 19.05.2021 तक	5.75%	1,00,00,000	4,97,808
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कूक टॉउन शाखा	19.1.2020 से 19.11.2021 तक	5.25%	1,75,00,000	5,85,267
5	केनरा बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा	19.1.2020 से 19.11.2021 तक	5.25%	1,75,00,000	5,85,267
6	केनरा बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा	23.02.2021 से 23.02.2022 तक	5.00%	9,37,00,000	4,62,082
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कूक टॉउन शाखा	02.03.2021 से 02.03.2022 तक	5.25%	19,63,00,000	8,18,813
			योग	35,50,00,000	39,44,853

ख. पेंशन निधि

1	केनरा बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा	25.08.2020 से 31.03.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	6,30,074
		26.08.2020 से 31.03.2021 तक	5.40%	10,00,000	32,164
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कूक टॉउन शाखा	25.08.2020 से 31.03.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	6,30,074
		26.08.2020 से 31.03.2021 तक	5.40%	10,00,000	32,164
3	इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा	28.05.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,54,548
		29.05.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,51,448
		30.05.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,48,349
		01.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,42,151
		02.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,39,052
		03.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,98,99,953	9,35,950
		04.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,99,00,000	9,32,853
		08.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.60%	1,99,00,000	9,04,308
4	यूनियन बैंक, आंध्र बैंक, कूक टॉउन शाखा	06.06.2020 से 31.03.2021 तक	5.70%	1,93,81,072	9,02,491
		03.03.2021 से 31.03.2021 तक	5.25%	2,81,51,846	1,13,549
			योग	24,77,32,871	98,49,175

ग. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम

1	केनरा बैंक, इंफांट्री रोड़ शाखा, बेंगलूरु	10.08.2020 से 31.03.2021 तक	5.51%	21,16,031	74,543
			योग	21,16,031	74,543
	अक्षय निधि के अधीन जमाओं का महायोग (योग क + ख + ग)			60,48,48,902	1,38,68,571

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा के भाग की अनुसूची

(₹ में)

अनुसूची - 12 बिक्री/ सेवाओं से आय	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
तरल कॉफी की बिक्री	1,17,07,047	3,12,26,089			1,17,07,047	3,12,26,089
कॉफी पाउडर की बिक्री	28,26,005	57,89,281			28,26,005	57,89,281
कैटरिंग के जरिए बिक्री	14,97,543	86,69,711			14,97,543	86,69,711
मिनरल वाटर की बिक्री	-				-	-
एस एस कॉफी फिल्टर की बिक्री	4,66,310	3,45,169			4,66,310	3,45,169
योग	16496905	46030250	0	0	16496905	46030250
अनुसूची - 13 अनुदान/सब्सिडी						
योजना सहायता अनुदान - सामान्य (ओएनईआर) स्कीम	11,00,00,000	18,62,00,000			11,00,00,000	18,62,00,000
योजना सहायता अनुदान - सामान्य (एनईआर)	6,79,00,000	6,79,00,000			6,79,00,000	6,79,00,000
सहायता अनुदान - एसएपी	80,00,000	1,50,00,000			80,00,000	1,50,00,000
योजना सहायता अनुदान - सामान्य - (प्रशा)	10,00,00,000	20,00,00,000			10,00,00,000	20,00,00,000
योजना सहायता अनुदान - वेतन	1,13,20,00,000	1,23,47,00,000			1,13,20,00,000	1,23,47,00,000
योजना सहायता अनुदान [टीआईईएस]	-	2,92,11,548				2,92,11,548
सब्सिडी (ओएनईआर)	-		24,00,00,000	26,83,50,000	24,00,00,000	26,83,50,000
एससी उप-योजना	-		3,30,00,000	1,32,25,000	3,30,00,000	1,32,25,000
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	-		6,40,00,000	6,10,00,000	6,40,00,000	6,10,00,000
सब्सिडी (एनईआर)	-		3,65,00,000	4,00,00,000	3,65,00,000	4,00,00,000
योग	1417900000	1733011548	373500000	382575000	1791400000	2115586548

अनुसूची - 14: शुल्क/ अभिदान					शून्य	शून्य
-----------------------------	--	--	--	--	-------	-------

अनुसूची - 15: निवेशों से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय असुरक्षित ऋण एवं उधार निधियों पर अंतरित निधि)					शून्य	शून्य
--	--	--	--	--	-------	-------

अनुसूची - 16: रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय					शून्य	शून्य
--	--	--	--	--	-------	-------



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 17: अर्जित ब्याज						
1. बचत खाते पर		2,93,396	-			2,93,396
मीयादी जमा पर	-		-			-
फ्लेक्सी जमा पर	1,46,39,813	1,85,54,413	4,04,741		1,50,44,554	1,85,54,413
2. ऋणों पर - कर्मचारी					-	-
स्टाफ को दिए अग्रिम पर ब्याज	6,708	12,44,931			6,708	12,44,931
दंडात्मक ब्याज (स्टाफ अग्रिम)	85,108	1,351			85,108	1,351
3. अन्य					-	-
विविध					-	-
अल्पकालीन जमा पर ब्याज	-				-	-
योग	14731629	20094091	404741		15136370	20094091

अनुसूची - 18 अन्य आय						
1. परिसंपत्तियों के बिक्री/ निपटान से लाभ (पुराने वाहनों के निपटान)	-					
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियाँ	-	14,72,976				14,72,976
2. विविध आय						-
कॉफी क्यूरिंग कार्यों के लिए समर्थन						-
किराया	2,06,79,211	1,79,04,600			2,06,79,211	1,79,04,600
अनुपयोज्य वस्तुओं का विक्रय	-				-	-
विविध प्राप्तियाँ	26,68,200	18,72,892	94,206	2,98,355	27,62,406	21,71,247
लाइसेंस शुल्क एवं क्वार्टर्स किराया	5,72,851				5,72,851	-
केंद्र सरकार के एजेसीस	6,15,492				6,15,492	-
आई.सी.ओ. लंडन से प्राप्त निधि	-				-	-
डब्ल्यू सी आर परियोजना	1,42,421				1,42,421	-
एन बी एस एस व एल यू पी परियोजना	5,00,000				5,00,000	-
आई आई एच आर बोर्ड परियोजना से प्राप्त निधि	-	3,20,331			-	3,20,331
एफ पी ओ (कृषक उत्पाद संघ) से निधि	-				-	-
प्लानोसिम से प्राप्त निधि	-	2,53,010			-	2,53,010
आर टी आई	250				250	-
आई ई बी आर	4,99,62,485	6,40,59,523			4,99,62,485	6,40,59,523
कैश हैंडलिंग चार्जस	28,740				28,740	-
आई ई बी आर - गैर योजना	-				-	-
गेस्ट हाउस किराया	-				-	-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची - 18 अन्य आय जारी..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क्रेडिट का पत्र (एल.सी. टीआईईएस)- ब्याज	43,058				43,058	-
पूल कॉफी मार्केट समर्थन के लाभ	-			1,48,72,707	-	1,48,72,707
अनुरक्षण प्रभार की प्रतिपूर्ति	-				-	-
लागत मुद्रास्फीति सूचकांक मूल्य (भूमि अधिग्रहण)	-				-	-
योग	7,52,12,708	8,58,83,332	94,206	1,51,71,062	7,53,06,914	10,10,54,394

अनुसूची - 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) एवं प्रगतिशील कार्य						
क) 31-03-2021 को यथास्थिति समाप्त स्टॉक						
पुस्तकें व प्रकाशन	5,22,740	8,31,935			5,22,740	8,31,935
कॉफी स्टॉक (कच्चा)	1,54,74,702	1,19,72,504			1,54,74,702	1,19,72,504
उर्वरक एवं रसायन	29,02,714	2,37,185			29,02,714	2,37,185
ब्रोका ट्रेप्स व प्रलोभन	9,78,954	12,25,060			9,78,954	12,25,060
अन्य एस्टेट उत्पाद	2,16,960	13,87,461			2,16,960	13,87,461
उपभोज्य वस्तुएँ	-	4,63,538			-	4,63,538
एस एस कॉफी फ़िल्टर	-	1,000			-	1,000
बीज कॉफी	-	3,51,500			-	3,51,500
योग (क)	2,00,96,070	1,64,70,183			2,00,96,070	1,64,70,183
ख) घटाव : 01-04-2020 को यथास्थिति आरंभिक स्टॉक						
पुस्तकें व प्रकाशन	8,31,935	6,53,684			8,31,935	6,53,684
कॉफी स्टॉक (कच्चा)	1,19,72,504	1,40,67,840			1,19,72,504	1,40,67,840
उर्वरक एवं रसायन	2,37,185	20,23,478			2,37,185	20,23,478
ब्रोका ट्रेप्स व प्रलोभन	12,25,060	21,82,535			12,25,060	21,82,535
अन्य एस्टेट उत्पाद	13,87,461	24,46,410			13,87,461	24,46,410
उपभोज्य वस्तुएँ	4,63,538	1,33,100			4,63,538	1,33,100
एस एस कॉफी फ़िल्टर	1,000	4,32,500			1,000	4,32,500
बीज कॉफी	3,51,500	7,85,149			3,51,500	7,85,149
योग (ख)	1,64,70,183	2,27,24,696			1,64,70,183	2,27,24,696
निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	36,25,887	-62,54,513			36,25,887	-62,54,513



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची - 20 स्थापना व्यय	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. वेतन व मजदूरी						
स्थापना का वेतन - मूल वेतन	33,18,17,611	35,45,36,936			33,18,17,611	35,45,36,936
महंगाई भत्ता	6,01,24,183	5,82,47,934			6,01,24,183	5,82,47,934
अन्य भत्ता	5,55,39,853	6,50,97,798			5,55,39,853	6,50,97,798
प्रतिनियुक्ति भत्ता	1,88,005	1,33,470			1,88,005	1,33,470
एम.ए.सी.पी. एस. बकाया	-	21,88,038			-	21,88,038
योग	44,76,69,652	48,02,04,176			44,76,69,652	48,02,04,176
ख. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवान्त लाभ पर व्यय						
पेंशन निधि को भुगतान	74,37,60,000	82,30,10,000			74,37,60,000	82,30,10,000
पेंशन अंशदान (प्रतिनियुक्त)	10,02,296	5,24,899			10,02,296	5,24,899
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम - बोर्ड का शेयर	1,09,76,516	1,16,93,219			1,09,76,516	1,16,93,219
छुट्टी वेतन अंशदान (प्रतिनियुक्त)	6,32,390	9,90,096			6,32,390	9,90,096
उपदान का अंशदान	-	1,09,702			-	1,09,702
छुट्टी नकदीकरण (सेवानिवृत्ति)	2,17,40,965	3,24,64,885			2,17,40,965	3,24,64,885
योग	77,81,12,167	86,87,92,801			77,81,12,167	86,87,92,801
ख. भत्ते व बोनस (प्रशासनिक व्यय)						
बोनस		25,94,605			-	25,94,605
छुट्टी यात्रा रियायत (एल टी सी)	69,92,414	30,05,144			69,92,414	30,05,144
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	68,20,755	81,26,349			68,20,755	81,26,349
संशोधन / शिक्षा शुल्क/ छात्रावास सब्सिडी	34,20,933	70,87,115			34,20,933	70,87,115
समयोपरि भत्ता	2,36,578	2,63,503			2,36,578	2,63,503
मानदेय व नकद पुरस्कार	2,36,000	2,55,600			2,36,000	2,55,600
योग	1,77,06,680	2,13,32,316			1,77,06,680	2,13,32,316
घ. कर्मचारियों पर अन्य व्यय						
प्रशिक्षण						
यूनिफार्म	12,46,661	11,64,850			12,46,661	11,64,850
योग	12,46,661	11,64,850			12,46,661	11,64,850
महायोग	1,22,70,28,480	1,37,14,94,143			-	1,22,70,28,480

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची - 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि जारी ..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
उपभोज्यों/ सामग्रियों की खरीद	1,11,919	68,29,600			1,11,919	68,29,600
गैस की खरीद		14,15,491			-	14,15,491
दूध की खरीद		56,37,573			-	56,37,573
चीनी की खरीद		12,24,052			-	12,24,052
कच्ची कॉफी की खरीद	73,54,455	52,69,355			73,54,455	52,69,355
बोरों की खरीद	7,875	-			7,875	-
पॉलिथीन बैग्स की खरीद		50,512			-	50,512
पैकिंग सामग्रियों की खरीद		23,80,561			-	23,80,561
क्रॉकरी व कटलरी		4,21,912			-	4,21,912
माल परिवहन व कूली प्रभार	-	-	-		-	-
कॉफी बीजों की भुनाई	-	3,07,132	-		-	3,07,132
किराए का भुगतान	83,71,486	99,56,703			83,71,486	99,56,703
अनुसंधान/विस्तार विभागों से कॉफी का प्रापण	-	-			-	-
कॉफी के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन	72,890	-			72,890	-
जल प्रभार आई.सी.डी/ आई.सी.एच	12,11,111	-			12,11,111	-
जीएसटी पर टीडीएस	-	3,21,779			-	3,21,779
फ्लेक्सी ब्याज पर टीडीएस	1,98,086	-			1,98,086	-
डेटा एंटी ऑपरेटरों को मज़दूरी	36,03,961	42,32,431			36,03,961	42,32,431
ठेका मजदूरों को मज़दूरी	11,28,746	4,68,30,162			11,28,746	4,68,30,162
व्यावसायिक प्रभार	9,10,833	16,30,710			9,10,833	16,30,710
परामर्शदाता पारिश्रमिक	52,88,994	98,75,524			52,88,994	98,75,524
बिजली प्रभार	73,84,184	83,17,108			73,84,184	83,17,108
कार्यालय/ प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत व अनुरक्षण	16,22,426	11,44,012			16,22,426	11,44,012
भवन अनुरक्षण प्रभार	28,84,226	16,48,754			28,84,226	16,48,754
यात्रा भत्ता (गैर-सरकारी)	29,993	54,787			29,993	54,787
अतिथि गृह अनुरक्षण	97,182	1,14,073			97,182	1,14,073
कंप्यूटर का अनुरक्षण	8,37,141	8,07,411			8,37,141	8,07,411
वाहनों का अनुरक्षण	68,21,865	40,56,831			68,21,865	40,56,831
अनियत चालक को मज़दूरी	21,85,578	34,89,299			21,85,578	34,89,299
डाक व तार	6,96,630	11,24,613			6,96,630	11,24,613
टेलीफोन प्रभार	29,53,737	28,77,465			29,53,737	28,77,465
परिवहन व वाहन भाड़ा प्रभार	3,97,833	71,49,760			3,97,833	71,49,760
पहरा व निगरानी	97,58,818	1,16,58,493			97,58,818	1,16,58,493
मुद्रण व लेखन- सामग्री	26,47,822	34,78,163			26,47,822	34,78,163
कार्यालय उपभोज्य/ सामग्रियाँ	4,14,099	6,34,136			4,14,099	6,34,136
यात्रा भत्ता (बोर्ड के सदस्य)	5,70,614	92,432			5,70,614	92,432



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अनुसूची - 21 : अन्य प्रशासनिक व्यय आदि जारी ..	योजना अनुदान		सब्सिडी अनुदान		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बोर्ड के सदस्यों की बैठकों पर व्यय	2,47,949	3,80,232			2,47,949	3,80,232
आतिथ्य प्रभार	14,68,380	21,44,028			14,68,380	21,44,028
प्रेस विज्ञापन	4,13,232	5,73,083			4,13,232	5,73,083
संगोष्ठी / बैठकें	28,90,677	-			28,90,677	-
अकस्मिक व्यय	20,61,313	15,16,009			20,61,313	15,16,009
बैंक प्रभार	1,70,662	3,14,823			1,70,662	3,14,823
कानूनी प्रभार	9,82,964	7,77,200			9,82,964	7,77,200
हिन्दी शिक्षण योजना	1,21,993	2,04,027			1,21,993	2,04,027
पत्र-पत्रिकाएं व संदर्भ पुस्तिकाएं	2,59,311	3,52,794			2,59,311	3,52,794
जल प्रभार	-	11,56,973			-	11,56,973
पुस्तकालय अनुरक्षण - पत्र-पत्रिकाएं आदि	-	81,483			-	81,483
दलाली व कमीशन	-	-			-	-
कर व दर (स्थानीय प्राधिकरण) व पंजीकरण आदि	30,04,231	19,67,837			30,04,231	19,67,837
भवन, उपकरण एवं विभागीय वाहन पर बीमा	16,34,311	1,18,356			16,34,311	1,18,356
गृह व्यवस्था प्रभार	-	76,45,884			-	76,45,884
मानदेय (गैर-सरकारी)	-	-			-	-
अनुषंगी लाभ	1,33,989	-			1,33,989	-
लेखा परीक्षा शुल्क	-	7,36,980			-	7,36,980
संयंत्र एवं मशीनरी का अनुरक्षण	-	-			-	-
संसदीय समिति पर व्यय	12,000	7,52,087			12,000	7,52,087
सदस्यता/प्रतिधारकता/ अभिदान	6,39,301	-			6,39,301	-
ख. भत्ते व बोनस (प्रशासनिक व्यय)	1,77,06,680	-				-
महायोग - क + ख	9,93,09,497	16,17,52,630	-	-	9,93,09,497	16,17,52,630

अनुसूची- 22 : योजना स्कीम/ घटक के अधीन व्यय (राजस्व)						
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय	9,53,05,449	11,04,05,455	37,35,00,000	40,53,18,131	46,88,05,449	51,57,23,586
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय - एसएपी	1,03,90,736	19,02,945			1,03,90,736	19,02,945
स्कीम घटकों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय - टीआईईएस	58,10,197	58,410			58,10,197	58,410
योग	11,15,06,382	11,23,66,810	37,35,00,000	40,53,18,131	48,50,06,382	51,76,84,941

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2020-21 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष				0
क) हस्तगत रोकड				0
मुख्य कार्यालय		-	-	11,249
क्षेत्र कार्यालय				36,232
ख) मार्गस्थ रोकड		-	-	-
ग) बैंक शेष				-
i) चालू खाते में				-
मुख्य कार्यालय	59,11,67,582	1,23,06,188	60,34,73,770	11,61,22,117
क्षेत्र कार्यालय	20,61,381	45,55,862	66,17,243	75,73,947
ii) जमा खाते में		-	-	-
iii) बचत खाते में - क्षेत्र		10,001	10,001	59,983
iv) फ्लेक्सी खाते में				-
मुख्य कार्यालय		-	-	35,65,26,175
क्षेत्र कार्यालय	-			
फ्लेक्सी खातों में				-
II. प्राप्त अनुदान				-
सामान्य निधि				-
क) सहायता अनुदान (ओएनईआर)	10,00,00,000		10,00,00,000	20,00,00,000
ख) सहायता अनुदान (एनईआर)	6,79,00,000		6,79,00,000	6,79,00,000
ग) पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (ओएनईआर)	50,00,000		50,00,000	1,00,00,000
घ) पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन (एनईआर)	1,00,000		1,00,000	1,00,000
ङ) सहायता अनुदान - वेतन (ओएनईआर)	1,13,20,00,000		1,13,20,00,000	1,23,47,00,000
च) सहायता अनुदान सामान्य (ओएनईआर) स्कीम	11,00,00,000		11,00,00,000	20,00,00,000
छ) सहायता अनुदान स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)	80,00,000		80,00,000	1,50,00,000
ज) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी (ओएनईआर)		24,00,00,000	24,00,00,000	26,83,50,000
झ) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी एससी उप-योजना		3,30,00,000	3,30,00,000	1,32,25,000
ञ) सहायता अनुदान (टी.ए.एस.पी)		6,40,00,000	6,40,00,000	6,10,00,000
ट) सहायता अनुदान सामान्य सब्सिडी (एनईआर)		4,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
III. निवेशों पर आय				-
IV. प्राप्त व्याज				-
क) बैंक जमा पर				-
ख) ऋण, अग्रिम आदि - साटॉफ	7,99,859		7,99,859	-
ग) बचत बैंक खाते पर	1,239		1,239	2,93,396



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

प्राप्तियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
घ) फ्लेक्सी खाते पर	1,78,00,095	1,72,496	1,79,72,591	1,38,39,739
ड) बचत बैंक खाता दांडिक ब्याज पर	222	-	222	-
च) जमा पर ब्याज (वैट)		-	-	-
V. अन्य आय			-	-
क) आई ई बी आर (कॉफी एवं अन्य का मूल्य)	5,39,86,099	-	5,39,86,099	2,20,19,225
ख) बिक्री व सेवाओं से आय	6,01,96,362	-	6,01,96,362	4,58,96,320
ग) उधार बिक्री (वसूली)		-	-	3,07,69,244
घ) योजना (आई ई बी आर)		-	-	51,99,586
ड) किराया	1,99,88,374	-	1,99,88,374	79,86,312
च) अन्य अनुदान व सहायता	1,49,14,931		1,49,14,931	
छ) विविध प्राप्तियाँ	29,42,801	94,206	30,37,007	94,12,124
ज) अन्य		4,04,741	4,04,741	62,88,340
VI. उधार में लाए गए			-	1,43,41,485
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ			-	-
क) एनईआर बाजार समर्थन - विक्रय वसूली		78,55,351	78,55,351	10,67,000
ख) वेतन बिल वसूलियाँ	10,81,70,526	-	10,81,70,526	7,22,43,818
ग) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम	5,10,166	4,50,281	9,60,447	2,92,34,451
घ) स्टॉफ को ऋण व अग्रिम	56,61,63,926	-	56,61,63,926	1,18,29,350
ड) निधि अंतरण	18,23,44,289	33,16,838	18,56,61,127	-
च) अकार्यान्वित ईएफटी/ डीडी/ चेक का विपर्यय		1,85,571	1,85,571	52,90,065
छ) अन्य आईईबीआर निधियों का अंतरण		-	-	-
ज) देनदारियाँ व प्रावधान	3,46,21,211	-	3,46,21,211	
योग	3,07,86,69,063	40,63,51,535	3,48,50,20,598	2,86,63,15,158

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2020-21 के लिए समेकित प्राप्ति और अदायगी लेखा

(₹ में)

अदायगियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. व्यय			0	
क) स्थापना व्यय	1,23,33,82,771		1233382771	1,31,31,44,870
ख) प्रशासनिक व्यय	10,29,10,788		102910788	8,38,23,575
II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधि के लिए किए गए भुगतान			0	
क) टीआईईएस	58,10,197		5810197	9,35,79,546
ख) स्कीम व्यय	10,39,48,430	24,51,67,471	349115901	51,81,60,046
ग) स्टाफ को ऋण व अग्रिम	61,29,77,892		612977892	1,09,37,000
घ) बोर्ड की पेंशन निधि			0	-
ङ) स्वच्छता कार्य योजना	1,09,52,883		10952883	-
च) एनईआर		3,77,92,742	37792742	4,02,89,414
छ) बाजार समर्थन (एनईआर)		86,91,338	8691338	1,78,01,813
III. किए गए निवेश एवं जमा			0	-
IV. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय			0	
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	5,45,09,077		54509077	1,08,28,061
V. अधिशेष रकम/ ऋणों की वापसी			0	
क) अनुपयोग सरकारी अनुदान का प्रतिदाय	5,27,14,000		52714000	-
ख) एनईआर अनुदान			0	-
ग) एस सी उप-योजना अनुदान		3,30,00,000	33000000	29,89,000
घ) टी ए एस पी		5,02,78,571	50278571	-
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)			0	-
VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)			0	
क) भारत सरकार को अनुपयोगित अनुदान की वापसी		35,00,000	3500000	-
ख) प्रेषण - वेतन बिल वसूलियाँ	10,81,17,307		108117307	18,46,72,089
ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि		7,74,095	774095	1,64,21,588
घ) स्टाफ अग्रिम आदि			0	89,45,593
ङ) अकार्यान्वित ई एफ टी/डीडी/चेक (विपर्यय)	4,16,18,930	1,53,277	4,17,72,207	49,12,797
च) फ्लेक्सी पर टी डी एस			0	3,42,585
छ) अन्य प्राप्ति व अदायगी	11,65,508		11,65,508	-



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अदायगियाँ	योजना अनुदान	सब्सिडी अनुदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ज) निधि का अंतरण	16,43,93,752		16,43,93,752	-
झ) ईएमडी			0	96,79,888
ञ) अन्य अनुदान एवं सहायता	77,53,425		77,53,425	
VIII. अंत शेष			0	
क) हस्तगत रोकड (मुख्य कार्यालय)			0	2,454
ख) हस्तगत रोकड क्षेत्र कार्यालय)			0	48,522
ग) मार्गस्थ रोकड			0	-
IX. बैंक शेष				
i) चालू खाते में			0	
क) मुख्य कार्यालय में	57,05,06,324	2,23,25,534	59,28,31,858	39,37,52,230
ख) क्षेत्र कार्यालय में	79,07,779	46,68,507	1,25,76,286	72,75,005
ii) जमा खाते में			0	-
iii) बचत खाते में - क्षेत्र			0	59,983
iv) फ्लेक्सी खाते में			0	
क) मुख्य कार्यालय में			0	14,86,49,099
ख) क्षेत्र कार्यालय में			0	-
योग	3,07,86,69,063	40,63,51,535	3,48,50,20,598	2,86,63,15,158

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2020-21 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
क) हस्तगत रोकड	170	170	क) स्थापना व्यय	76,40,75,496	92,01,97,986
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	8,90,031	145
i) चालू खाते में			ग) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम भुगतान	2,17,16,982	2,23,58,958
ii) जमा खाते में	54,26,22,785	71,60,76,829	घ) भविष्य निधि अग्रिम		1,00,000
iii) बचत खाते में	10,65,82,149	2,77,66,356	ङ) भविष्य निधि अंतिम निकासी	5,66,18,000	5,56,21,200
iv) फ्लेक्सी खाता			च) भविष्य निधि /अन्य निधियों का अंतिम निपटान	3,81,10,991	4,60,91,322
II. प्राप्त अनुदान			II विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों में से किए गए भुगतान		
III. सामान्य निधि			क) स्कीम व्यय/ अन्य व्यय		
क) भारत सरकार से योजना			III. कृत निवेश एवं जमा		
ख) भारत सरकार से गैर-योजना	70,90,23,990	79,83,10,000	IV. निर्धारित परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) सहायता अनुदान			क) निर्धारित परिसंपत्तियों की खरीदी		
घ) शुल्क व अभिदान			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
IV. प्राप्त व्याज			V. अधिशेष धन/ ऋणों का प्रतिदाय		
क) बैंक जमा पर	4,68,45,787	5,15,20,894	क) भारत सरकार को		
ख) बचत बैंक खाते में	9,49,292	18,36,491	ख) अन्य अदाताओं को		
ग) फ्लेक्सी खाता			ग) कॉफी बोर्ड के देय का प्रेषण		
V. अन्य आय			घ) समिति के देय का प्रेषण		4,61,401
कॉफी बोर्ड पूल निधि विपणन लेखा			VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
क) अन्य आय / एफ डी परिपक्वता			क) अंतिम निपटान जी एस एल आई	26,99,926	32,82,852



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ख) भवन की मरम्मत व अनुरक्षण			ख) धन प्रेषण/ वेतन बिल वसूलियाँ		
ग) अभिदान एवं प्रीमियम	7,05,63,939	7,59,53,870	ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि		
घ) भविष्य निधि अग्रिम की वापसी	3,58,825	4,61,401	घ) विविध		
ङ) सरकार/सोसाइटी के देय वसूली/ प्रत्याहृत राशि		4,71,920	ङ) अन्य भुगतान		266
च) अन्य प्राप्तियाँ	5,23,135		च) सरकार/समिति के देय वसूली प्रत्याहृत राशि का प्रेषण		
VI. कर्मचारी अंशदान (नई पेंशन योजना)	1,09,18,910		छ) प्रत्यावर्तन के लिए टी डी एस फ्लेक्सी		
			VIII. अंत शेष		
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (विवरण दें)	1,11,17,461	1,16,49,600	क) हस्तगत रोकड	170	170
क) एककों से अंतरित प्राप्तियाँ			ख) मार्गस्थ रोकड		
ख) एल आई सी से प्राप्त निपटारा	25,99,311	1,06,40,537	ग) बैंक शेष		
ग) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम			i) चालू खाते में		
घ) प्रत्यावर्तन के लिए टी डी एस फ्लेक्सी		25,86,899	ii) जमा खाते में	60,48,48,902	54,26,22,785
		34,320	iii) बचत खाते में	1,27,81,732	10,65,72,469
			iv) फ्लेक्सी खाते में		
योग	1,50,21,05,754	1,69,73,09,287	योग	1,50,21,05,754	1,69,73,09,287

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2020-21 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

प्राप्ति	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादन समिति	लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
I. अथ शेष							
सामान्य निधि							
क) हस्तगत रोकड				170			170
ख) बैंक शेष							
i) चालू खाते में							
ii) जमा खाते में	19,26,44,731	19,78,054	34,80,00,000				54,26,22,785
iii) बचत खाते में	9,77,28,569	9,54,318	54,71,140	18,923	5,43,914	18,65,285	10,65,82,149
iv) फ़्लेक्सी खाता							
II. प्राप्त अनुदान							
III. सामान्य निधि							
क) भारत सरकार से योजना							-
ख) भारत सरकार से गैर-योजना	70,90,23,990						70,90,23,990
ग) सहायता अनुदान							
घ) शुल्क व अभिदान							
IV. प्राप्त ब्याज							
क) बैंक जमा पर	1,49,46,943	1,37,977	3,17,60,867				4,68,45,787
ख) बचत बैंक खाते में		76,866	8,00,909		14,871	56,646	9,49,292
ग) फ़्लेक्सी खाते में							
V. अन्य आय							
कॉफी बोर्ड पूल निधि विपणन लेखा							
क) अन्य आय / एफ़ डी परिपक्वता							
ख) भवन की मरम्मत व अनुरक्षण							
ग) अभिदान एवं प्रीमियम			7,01,96,919		720	3,66,300	7,05,63,939



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

प्राप्ति	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
घ) सेवा निवृत्ति लाभ / सोसाईटी बकाया बसूली							
घ) भविष्य निधि अग्रिम का प्रतिदाय			3,58,825				3,58,825
ड) प्रत्याहृत राशि							
च) अन्य प्राप्तियाँ / फ़्लेक्सी	5,23,135						5,23,135
VI. कर्मचारी अंशदान (नई पेंशन स्कीम)		1,09,18,910					1,09,18,910
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (विवरण दें)	1,98,551	1,09,18,910					1,11,17,461
क) एककों से अंतरित प्राप्तियाँ							
ख) फ़्लेक्सी पर टीडीएस (प्रत्यावर्तित किया जाता है।)							
ग) एल आई सी से प्राप्त निपटारा						25,99,311	25,99,311
घ) अन्य प्राप्तियाँ/ अग्रिम							
योग	1,01,50,65,919	2,49,85,035	45,65,88,660	19,092	5,59,505	48,87,542	1,50,21,05,754

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
वर्ष 2020-21 के लिए चिह्नित निधियों की समेकित प्राप्ति एवं अदायगी लेखा

(₹ में)

अदायगी	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
I. व्यय							
क) स्थापना व्यय (पेंशन भुगतान)	76,40,75,496						76,40,75,496
ख) प्रशासनिक व्यय	8,90,031						8,90,031
ग) पेंशन भुगतान (एनपीएस न्यास खाते में प्रेषण)							
घ) भविष्य निधि अग्रिम							
ङ) भविष्य निधि अंतिम निकासी			5,66,18,000				5,66,18,000
च) भविष्य निधि/ अन्य निधियों का अंतिम निपटान			3,81,10,991				3,81,10,991
II. कृत निवेश एवं निक्षेप							
III. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय							
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीदी							
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय							
IV. अधिशेष धन/ ऋणों का प्रतिदाय							
क) भारत सरकार को							
ख) अन्य अदाताओं को							
ग) कॉफी बोर्ड के देय का प्रेषण							
घ) सोसाईटी देय का प्रेषण							
V. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)							
क) अंतिम निपटान						26,99,926	26,99,926
ख) धन प्रेषण/ वेतन बिल वसूलियाँ		2,17,16,982					2,17,16,982
ग) अन्य - भुगतान व अग्रिम आदि						3,63,525	3,63,525



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

(₹ में)

अदायगी	पेंशन	नई पेंशन	पीएफ़	संपादकीय समिति	हित लाभ निधि	जीएसएलआई	चालू वर्ष
	1	2	3	4	5	6	
घ) विविध							
ड) सेवा निवृत्ति लाभ/ सोसाईटी देय से वसूली							
च) फ्लेक्सी पर टी डी एस (प्रत्यावर्तित किया जाना है)							
छ) उप-कार्यालयों द्वारा प्रतिदाय अन्य भुगतान							
VI. अंत शेष							
क) हस्तगत रोकड				170			170
ख) बैंक शेष							
i) चालू खाते में							
ii) फ्लेक्सी खाते में							
iii) जमा खाते में	24,77,32,871	21,16,031	35,50,00,000				60,48,48,902
iv) बचत खाते में	23,67,521	11,52,022	68,59,669	18,923	5,59,505	18,24,091	1,27,81,732
योग	1,01,50,65,919	2,49,85,035	45,65,88,660	19,092	5,59,505	48,87,542	1,50,21,05,754

उप सचिव (लेखा)



अनुसूची- 24- सार्थक लेखांकन नीतियाँ :

1. कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम (1942 की धारा VII) के अनुसार एक स्वायत्त निकाय के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सरकार ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित अनुमोदित योजना स्कीम के लिए केंद्रीय बजट के माध्यम से धनराशि निर्गत की गई है।
2. वर्ष 2017-18 से सरकार ने योजना/ गैर-योजना व्यय को पूंजी व राजस्व वर्गीकरण में प्रतिस्थापित किया। तदनुसार, (1) योजना अनुदान (2) सब्सिडी अनुदान (3) अक्षय निधियाँ आदि शीर्षों के अधीन लेखाओं को समाकलित किए गए थे। तुलन पत्र के एक भाग की अनुसूची-8 के अंतर्गत खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण दिया गया है।
3. भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों का लेखांकन नकद/वास्तविक आधार पर किया जाता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप “सामान्य लेखा प्रारूप समिति” में उपचित आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।
4. जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक मदों को सामान्य लेखा प्रारूप में सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुति करने के लिए पुनःसमूहित किया गया है। बोर्ड द्वारा संचालित कुछ निधियाँ जो सामान्य निधि का भाग नहीं होती हैं, उन्हें भी प्रत्येक मामले में प्राप्ति और अदायगी लेखा तैयार करने के बाद लेखाओं में प्रस्तुति किए गए थे। तथापि, सामान्य लेखा प्रारूप में दिए गए अनुसार, उन्हें तुलन पत्र तथा अनुसूचियों में चिह्नित निधियों के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया है।
5. **पेंशन निधि :** को सामान्य निधि तथा पूल निधि दोनों के अंशदान द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसलिए, इसे सामान्य निधि में शामिल नहीं किया गया है। देश भर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से बोर्ड, पेंशन संवितरित करता है। कॉफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पस निधि का निवेश किया जा रहा है। इस निवेश से ब्याज को पेंशन के अंश के भाग के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा शेष पेंशन का भुगतान सहायता अनुदान - वेतन लेखा शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से भुगतान किया जाता है।
6. बोर्ड में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम के अधीन कॉफी बोर्ड कर्मचारी अंशदायी पेंशन निधि प्रचालित की गई है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डॉ. अम्बेडकर वीथी शाखा, बंगलूरु में अलग से खाता संख्या एस बी 54044625170 खोली गई है और इसकी लेखा चिह्नित अक्षय निधि के अधीन दिखाई गई है।
7. **भविष्य निधि :**
 - (क) कॉफी बोर्ड में भविष्य निधि लेखा का कार्य 22 दिसंबर 2007 से संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमवाली, 1960 के अनुसार होता है। इससे संबंधित सभी लेने-देने बैंक के माध्यम से ही किया जाता है।
 - (ख) भविष्य निधि खाता संख्या को विधिवत दर्शाते हुए व्यक्तिगत अभिदातावार लेजर कार्ड का अनुरक्षण किया जाता है।
 - (ग) विभिन्न शेषों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अभिदाताओं के कार्डवार विवरण मुख्य कार्यालय में अनुरक्षित सामान्या भविष्य निधि लेखा का विस्तृत शीट में प्रविष्ट किया जाता है।
8. अचल परिसंपत्तियों का अर्जन/निर्माण की लागत से, संचयित मुल्यहास को विधिवत घटाकर मूल्यांकन किया जाता है।
9. परिसंपत्तियों का मुल्यहास निम्नलिखित दरों पर होता है क्योंकि कॉफी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (29) के अधीन आयकर, क्षेत्र से पूर्णतः छूट प्राप्त हुई है तथा बोर्ड, किसी भी कर निर्धारण के लिए दायी नहीं है। परिसंपत्तियों का मुल्यहास



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

निम्नलिखित दरों पर होता है :

परिसंपत्ति की प्रकृति	मुल्यहास की दर
भूमि	शून्य
भवन	2% प्रति वर्ष - सीधी रेखा पद्धति
कॉफी बागान	2% प्रति वर्ष - सीधी रेखा पद्धति
संयंत्र एवं मशीनरी	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स तथा अन्य परिसंपत्तियाँ	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
पुस्तकालय के पुस्तकें	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
आईटी हार्डवेयर	50% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
₹5000/- से कम मूल्य के आईटी सॉफ्टवेयर एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	100% - घटना वर्ष के दौरान
आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष	इनका मुल्यहास नहीं किया गया है।

आई. टी सॉफ्टवेयर को छोड़कर द्वितीय अर्ध वर्ष के लिए परिसंपत्तियों के जोड़ों के अवमूल्यन निर्धारित दर के आधे दर पर प्रभारित किया जा रहा है।

10. सरकार के अनुदान के अधीन जारी का-ज्ञा सं. जी.20008/16/2003-बीएण्डए/466, दिनांक 02.06.2004 के अनुदेशानुसार, योजना क्रियाकलापों के तहत क्षेत्र कार्यालयों में परिचित किए जो दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। आईईबीआर को मुख्य कार्यालय में अंतरित किया गया और इसका आंशिक भाग किए गए व्यय पर उपयोग किया गया है।
11. **उपभोज्य स्टॉक का मूल्यांकन** : प्रोन्नयन एककों द्वारा फार्म सं. 20 में दिए गए स्टॉक लेखा संबंधी मूल्यों को इति स्टॉक मूल्य के रूप में दिखाया गया है। ब्रोका ट्राप्स, फेरोमोन ट्राप्स, प्रलोभन आदि के इति स्टॉक का मूल्यांकन, खरीद मूल्य में लेखांकित किया गया है। कॉफी बीज एवं एस्टेट उत्पादों के इति स्टॉक का मूल्यांकन, औसत बाजार मूल्य में मूल्यांकित किया गया है।
12. **कर्मचारी लाभ** :
 - (क) यद्यपि बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, फिर भी परिपत्र सं.प्रशा/स्था-1/2007-08/6117, दिनांक 31.03.2008 के तहत जारी निम्नलिखित नियम 22 दिसंबर 2007 से कॉफी बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर प्रयोज्य हैं।
 - i. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964
 - ii. केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965
 - iii. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली, 1960
 - iv. वर्ष 1959 से नियुक्त केंद्रीय सरकार के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश तथा
 - v. स्टाफ कार पर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन/आदेश



- (ख) कॉफी नियम 1955 के नियम 31(क) के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों के लिए यथा प्रयोज्य सीसीएस पेंशन नियम।
- (ग) बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार गृ.नि.अ, स.ख.अ, वैयक्तिक कंप्यूटर अग्रिम, आदि जैसे सभी हितलाभ दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, इन अग्रिमों पर ब्याज दर प्रभारित किए जाते हैं।
13. **आयकर से छूट** : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29क) के अनुसार, आयकर के कार्य क्षेत्र से कॉफी बोर्ड को पूर्णतः छूट प्राप्त है।

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

अनुसूची 25 - आनुषंगिक देयताओं को शामिल कर लेखाओं पर टिप्पणियाँ

सामान्य निधि :

- वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने बोर्ड को ₹180.00 करोड़ आबंटित किया गया था। धनराशि को निम्नानुसार रिलीज़ किया गया था :-

i	सहायता-अनुदान - ओएनईआर (प्रशा)	10.00
ii	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन - ओएनईआर	0.50
iii	सहायता-अनुदान - एनईआर	6.79
iv	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन - एनईआर	0.01
v	सहायता अनुदान - सब्सिडी - ओएनईआर	24.00
vi	सहायता अनुदान - सब्सिडी - एनईआर	4.00
vii	एस सी उप-योजना - सब्सिडी	3.30
viii	सहायता अनुदान - सामान्य (स्कीम)	11.00
xi	सहायता अनुदान - वेतन	113.20
x	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी)	6.40
xi	सहायता अनुदान - स्वच्छता कार्य योजना	0.80
	योग	180.00

एनईआर सब्सिडी 35.00 लाख रुपयों का अप्रयुक्त अनुदान दि. 08.03.2021 को भारत सरकार को वापस किया गया है।

- वर्ष 2020-21 के दौरान, अनुसंधान/ विस्तार एककों से प्राप्त ₹35,57,067/- मूल्य के 17818 कि.ग्रा. कॉफी उत्पाद को प्रोन्नयन बिक्री केंद्रों में वर्ष 2020-21 के दौरान आबंटित किए गए। कॉफी के इस मूल्य को “आईईबीआर योजना” समायोजित करने द्वारा लेखा बही में प्रविष्ट किया गया है।

क. बंद प्रोन्नयन एककों के ₹2,40,181/- का बही शेष तथा ₹2,60,745/- का मार्गस्थ रोकड को अनुसूची-11 में दिखाया गया है, क्योंकि ये रकम 20 वर्षों से भी ज्यादा पूर्व अवधि के थे, जिनका समाधान नहीं किया जा सका। कॉफी नियमावली / सामान्य निधियों की नियमावली का विधिवत पालन करते हुए इसे आगे की वार्षिक लेखा “अशोध्य शेष - बट्टे खाते में डाला गया” के अधीन लेखांकित करने का कार्य जारी है।

ख. उप निदेशक (अ), चुंडेल को प्राप्त अग्रदाय राशि ₹5,18,004/- से संबंधित विस्तृत लेखा प्राप्त नहीं हुई है। उक्त राशि को वर्ष 2012-13 के दौरान उचंताधीन रखा गया था, उसमें से ₹28,000/- की राशि वसूल की गई थी और निवल शेष ₹4,90,004/- उचंत लेखा के तहत रखी गई है। सतर्कता विभाग द्वारा मामले पर जाँच-पड़ताल के बीच में दिनांक 29.03.2017 को संबंधित अधिकारी की मृत्यु हो गई और तदनंतर मामलों पर समुचित आदेश प्राप्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सौंप दिया गया है।



3. वित्तीय विवरण के तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा तथा संगत अनुसूचियों में उल्लिखित राशि आँकड़ों को निकटतम रूपों में पूर्णांकित किया गया है।
4. बोर्ड द्वारा निम्नलिखित खाताओं का संचालन किया जा रहा है, जो सामान्य निधि अनुदान का भाग नहीं हैं। अतः, प्राप्तियाँ एवं अदायगीयाँ को सामान्य निधि में जोड़ दिया गया है और चिह्नित अक्षय निधियों की अनुसूची-3 के तहत तुलन पत्र में सम्मिलित किया गया है।
 - (1) पेंशन निधि खाता (2) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (3) भविष्य निधि खाता (4) संपादकीय समिति खाता (5) कॉफी बोर्ड हितकारी निधि खाता (6) कॉफी बोर्ड जीएसएलआई खाता
5. विशेषज्ञों की समिति, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लेखाओं के सभी अनुसूचियों के प्रत्येक मदों को पुनःसमूहित किया गया है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ नए लेखा शीर्ष खोले गए तथा उनका उपयुक्त वर्गीकरण किए गए।
6. कॉफी नियमावली 1955 के नियम 35 तथा भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा नई पेंशन निधियों के अधीन धारित बोर्ड के अधिशेष निधियों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जा रहा है। सामान्य लेखा प्रारूप में निहित अनुदेशों के अनुसार, निवेशों को “अनुसूची-9-चिह्नित निधियों” से निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया है।
7. सहायता अनुदान के अधीन बोर्ड के चालू खाताओं के बैंक शेष को सहबद्ध किया गया है और ब्याज के अर्जन के लिए फ्लेक्सि खाते में अंतरित किया गया है।
8. भारत सरकार को देय ब्याज सहित कॉफी विकास ऋण के लगभग ₹24.00 करोड़ की राशि, दिनांक 08.06.2005 के आदेश सं.11/8/2004 प्लॉट बी के अनुसार बट्टे खाते में डाल दी गई थी। ब्याज अधित्याग करने का प्रस्ताव भारत सरकार विचाराधीन है। इसलिए, इस राशि को लेखा में दर्शाई गई है तथा “भारत सरकार को ब्याज के प्रतिदाय हेतु प्रावधान” के अधीन लाई गई है।
9. **कॉफी बागानों का मूल्यांकन:**

कॉफी बोर्ड ने विभिन्न स्थानों में स्थित अपने अनुसंधान/विस्तार फार्मों में कॉफी बागान विकसित किए हैं। वहाँ कॉफी पौधों को विभिन्न वर्षों में ब्लॉकों में रोपित किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर फलदायी पौधों के निवेश की लागत का लेखांकन किया गया है। लेखांकन मानक 10 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, फलदायी कॉफी पौधों पर निवेशित लागत का अद्यतन किया गया है तथा निवेश की लागत, मूल्यहास के साथ-साथ नष्ट का भी लेखांकित किया गया है।

कॉफी के दो प्रकार पाए जाते हैं; यथा- (1) अरेबिका एवं (2) रोबस्टा। अरेबिका के औसत 3500 पौधे/हे. तथा रोबस्टा के 1250 पौधे/हे. रोपित किए गए हैं। अरेबिका व रोबस्टा की परिपक्वता/फलदायी (रोपण के पाँचवें वर्षों तक) होने तक निवेशी लागत प्रति हेक्टेयर के लिए क्रमशः ₹3,10,000/- तथा ₹2,45,000/- अनुमानित किया गया है। तदनुसार, प्रति पौधे पर निवेश की लागत अरेबिका तथा रोबस्टा के लिए क्रमशः ₹88.57 प्रति ₹196 हो जाता है। इस आँकड़े के आधार पर, निवेश लागत की गणना की गई है तथा अनुसूची- 8 में लेखांकित किया गया है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

10. **फलदायी कॉफ़ी पौधों पर मूल्यहास:** सामान्यतः, कॉफ़ी पौधों की फलदायी अवधि 50 वर्ष मानी जाती है। जीवित फलदायी कॉफ़ी पौधें वर्ष 1990 की अवधि के हैं, लगभग 25 वर्ष (जीवितावधि का 50%) पूरी की गई है, आगे और 25 वर्ष की फलदायी अवधि के लिए प्रतीक्षा है। अतः, 01.04.2018 की अवधि तक एक बार 50% की दर पर मूल्यहास प्रभारित किया गया है। भविष्य में, प्रति वर्ष 2% की दर पर मूल्यहास तय कर प्रभारित किया जाएगा।

फलदायी पौधों से नष्ट: निवेश लागत वास्तविक के आधार पर फलदायी पौधों की हानि की गणना की जाती है।

11. **आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्ष:** बोर्ड के अनुसंधान/ विस्तार फार्मों में उगाए गए/ रोपित आर्थिक रूप से मूल्यवान वृक्षों का मूल्य वर्ष 2012-13 में लेखांकित किए गए थे जिनका अद्यतन कर अनुसूची-8 में लेखांकित किए गए हैं। राजस्व/वन विभाग के द्वारा दिए गए स्थानीय मूल्यों के अनुसार इन पेड़ों की मूल्य-गणना की गई है। वास्तविक आधार पर इन पेड़ों का नष्ट की गणना की गई है। इन पर मूल्यहास प्रयोज्य न होने के कारण लेखांकित नहीं किया गया है।
12. वर्ष 2015-16 के दौरान, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग, बेंगलूरु द्वारा जारी नोटिस के आधार पर बेंगलूरु विकास प्राधिकरण ने ₹1.68 करोड़ ब्याज के साथ ₹1.04 करोड़ की माँग की तथा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को रकम संरक्षित करने का निदेश दिया। बोर्ड ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया। मामला लंबित है।
13. मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए ₹1.60 लाख के निर्धारण कर और ₹0.30 लाख के ब्याज के भुगतान के लिए आयकर अधिकारी, बेंगलूरु ने नोटिस जारी किया और सूचित किया था कि कर निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए ₹3.76 लाख (टीडीएस) की प्रतिदेय राशि को उक्त राशि से समायोजित किया है। हालांकि, बोर्ड ने अपील की आयकर अधिकारी, बेंगलूरु के समक्ष एक अपील ज्ञापन दायर किया है। मामला लंबित है।
14. कॉफ़ी ऋण राहत पैकेज (सीडीआरपी) के अधीन मियादी ऋण प्राप्त किए 73 कॉफ़ी उपजकर्ताओं के दावों का निपटान से संबंधित मामले केरल एवं कर्नाटक के न्यायालयों में लंबित हैं। अतः, ब्याज अर्जन के लिए ₹6.29 करोड़ की रकम फ्लेक्सी खाते में जमा की गई है।
15. अनुसूची सं.11(4) के अधीन बैंक खाता शेष निम्नानुसार है: -

(₹ लाखों में)

1.	कॉफ़ी ऋण राहत पैकेज (सीडीआरपी)	628.80
2.	कॉफ़ी ऋण राहत पैकेज (सीडीआरपी) पर ब्याज	193.24

16. दिनांक 08.06.2017 को आयोजित बोर्ड की 202वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प किया कि 20 हे. विस्तार तक के जोतों के कॉफ़ी उपजकर्ताओं को उनके लिए वर्तमान में प्रयोज्य सब्सिडी 25% से 50% तक बढ़ाने तथा जल आवर्धन के अधीन सब्सिडी दावों को ₹2.50 लाख की वर्तमान अधिकतम सीमा से ₹5.00 लाख तक बढ़ाया जाए। पत्र सं. इएक्सटी/पी एण्ड सी सेल /68/2017-18/192 दिनांक 18.07.2017 द्वारा संकल्प आवश्यक निर्देशन हेतु मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है। वृद्धि की गई दर लागू नहीं हुई है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

17. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मंत्रालय एवं कॉफ़ी बोर्ड के समान शेयर के आधार पर ₹11.40 करोड़ के परिव्यय में 2017-18 के दौरान, निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के अधीन कॉफ़ी गुणता एवं निर्यात प्रमाणन हेतु प्रयोगशाला अवसंरचना की स्थापना परियोजना के लिए अनुमोदन (29 दिसंबर 2017 को) दिया। वर्ष 2017-18 में ₹2.85 करोड़ तथा 2018-19 में ₹2.85 करोड़ को जोड़ते करते हुए कुल ₹5.70 करोड़ की राशि बोर्ड को प्राप्त हुई है।
18. बोर्ड के सदस्यों ने बोर्ड के सीईओ एवं सचिव को कॉफ़ी बोर्ड के लेखा विभाग द्वारा, लेखाओं में किए गए संभाव्य परिवर्तन अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के परिणामों का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत किया गया।

वित्त निदेशक



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

न्यायालय में लंबित मामलों की सूची - सर्वोच्च न्यायालय - (सेवा संबंधी मामलों की संख्या - 5)

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति	अभ्युक्तियाँ
1.	श्री टी. एन. लक्ष्मीनारायणा, कल्पेट्टा व अन्य 24 एसएलपी सं. 3063/2007 सीए सं. 2964/2012 सीजीएससी, सर्वोच्च न्यायालय	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतनमान के संशोधन पर अनुग्रहपूर्वक लाभ के भुगतान के संबंध में केरल उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील सं. 943/2006 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध बोर्ड ने एसएलपी फ़ाइल किया है। इस मामले पर 10.09.2008 को सुनवाई हुई थी। बाद में, 12.03.2012 को मामले की सुनवाई हुई थी तथा अनुमति प्रदान करते हुए उसे श्री तम्मय्या व अन्य द्वारा फ़ाइल किए गए एसएलपी सं. 11759-11765/2011 के साथ जोड़ दिया गया था। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
2.	एसएलपी सं. 11759- 11765/2011 सीए सं. 2794-2800/2012 श्री तम्मय्या व अन्य सर्वोच्च न्यायालय	दि.1.1.1996 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (विआरएस) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुग्रह राशि के भुगतान में अंतर के संबंध में बोर्ड द्वारा फ़ाइल किया गया रिट अपील सं. 157-242/2000 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के डिविज़न बेंच द्वारा पारित दि. 08.09.2010 का आदेश पर अपील करते हुए श्री तम्मय्या व अन्य ने एसएलपी दायर किया है। दि. 12.03.2012 को मामले की सुनवाई हुई थी तथा अनुमति प्रदान करते हुए उसे श्री लक्ष्मीनारायणा व अन्य द्वारा फ़ाइल किए गए एसएलपी सं. 3063/2007 के साथ जोड़ दिया गया है।	लंबित है।
3.	एसएलपी सं. 6098- 6101/2011 सीए सं. 153-157/2017 श्री पॉल रॉय व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	ऋण निरीक्षकों के संवर्ग में उनकी सेवा में प्रवेश करने की तिथि से वरीयता को सूचित करने हुए बोर्ड ने ऋण निरीक्षकों को प्रधान लिपिक के रूप में समाविष्ट करते हुए सीजीएल जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने इस सीजीएल पर अपील दायर करते हुए रिट याचिका सं. 12824/88 के तहत पारित डिविज़न बेंच के आदेश का कार्यान्वयन के लिए भी माँग की। वर्ष 1992 के दौरान, बोर्ड ने संवर्ग व भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए पूर्व प्रभाव से सहायक सचिव (अनुसचिवीय) पद के लिए पदोन्नति दी थी। लेकिन, दिनांक 30.01.96 को उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि नियमों के पूर्व प्रभावी संशोधन के लिए बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। डिविज़न बेंच के आदेश के कारण, वर्ष 1992 के दौरान की गई पदोन्नतियाँ क्रम में नहीं हैं। इससे प्रभावित पक्ष अर्थात् श्री पॉल रॉय व अन्य ने न्यायालय में रिट याचिका सं. 33105-06/97 दायर किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट अपील आदेश पर एसएलपी, अपील दायर किया गया। इस मामले पर 11.03.2011 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है। प्रतिवादी को नोटीस जारी किया गया है।	लंबित है।



<p>4. एसएलपी सं. 27057/2012 सीए सं. 5516/2014 श्रीमती सुधा वी. बालिगा व अन्य दो, सर्वोच्च न्यायालय</p>	<p>वर्ष 1999 में याचिकाकर्ता श्री वासुदेव बालिगा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें चौथे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। उन्होंने 1999 में सेवानिवृत्त होने के कारण, पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनुग्रह राशि भुगतान करने का अनुरोध किया था। उनके द्वारा फ़ाइल की गई रिट याचिका स्वीकार किया गया। लेकिन बोर्ड द्वारा फ़ाइल किया गया रिट अपील सं. 2053/2006 निरस्त कर दिया गया। इसलिए, एसएलपी फ़ाइल किया गया। जब रिट याचिका लंबित था तब याचिकाकर्ता का निधन हो गया था। इसलिए, उनकी पत्नी ने प्रतिनिधित्व किया।</p> <p>कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट अपील आदेश पर एसएलपी अपील दायर किया गया। मामले सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है तथा उसे अन्य अनुग्रह राशि से संबद्ध मामलों के साथ जोड़ा गया है।</p>	<p>लंबित है।</p>
<p>5. एसएलपी सं. 36152-54/2014 के. अब्दुल्ला, ए. के. पवित्रन व यूनियन ऑफ़ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय</p>	<p>अपने मूल संवर्ग से कनिष्ठ संपर्क अधिकारी के पद के निविलयन के विरुद्ध सिंगल बेंच आदेश का समर्थन करते हुए का केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2014 का रिट अपील आदेश पर बोर्ड ने अपील दायर किया।</p> <p>स्थगन याचिका के साथ एसएलपी फ़ाइल किया गया। दि. 20.07.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा फ़ाइल किया गया अभिवचन आवेदन स्वीकारने के लिए लंबित है।</p> <p>दि. 17.01.2017 की मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे सुनवाई के लिए लंबित रखा गया है।</p>	<p>लंबित है।</p>

न्यायालय में लंबित मामलों की सूची - सर्वोच्च न्यायालय - (सेवा संबंधी मामलों की संख्या - 25)

<p>1. रिट याचिका सं. 12614/2013 श्री वेंकट रेड्डी व बसवराज मड़िवाला कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ता ने ग्रेड वेतन घटाने तथा प्रदत्त अतिरिक्त वेतन की वसूली संबद्ध दिनांक 15.2.2013 व 27.2.1013 के आदेशों को रद्द करने का निवेदन किया था। वसूली आदेश पर अंतरिम स्थगन के लिए 8 सप्ताह मंजूर किया गया था। जुलाई 2013 में बोर्ड ने इस पर आपत्ति फ़ाइल की थी। दिनांक 22.07.2013 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित रखा गया है।</p>	<p>लंबित है।</p>
<p>2. रिट याचिका सं. 12987-12989/2013 वी. एम. सरस्वती कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु</p>	<p>याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.2.2013 के एमसीएफ़एस आदेश के अधीन अपने से कनिष्ठ पदधारियों की स्वस्थानी पदोन्नति को निरस्त करने तथा नरसीपट्टनम से सीसीआरआई में उनके समयपूर्व स्थानांतरण संबंधी दिनांक 26.04.2011 के संदेहास्पद स्थानांतरण आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया था। स्थगन आदेश नहीं मिला। जुलाई 2018 के दौरान बोर्ड ने आपत्ति दायर की थी।</p> <p>दिनांक 19.07.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।</p>	<p>लंबित है।</p>



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

3.	रिट याचिका सं. 23572/2014 श्री एस. कृष्णमूर्ति (सेवानिवृत्त) कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्य से अनुपस्थित को अकार्य दिवस मानने के संबंध में अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड का दिनांक 30.12.2008 के आदेश सं. प्रशा/स्था-1/2007-08/4159 के संबंध अभिलेख मंगवाने का अनुरोध किया। अपील तिरस्कृत करते हुए मंत्रालय ने आदेश सं. 1/1/2008/ प्लांट (बी) दिनांक 8/1/2010 जारी किया तथा प्रतिवादी को दि. 27.05.92 से बहाली की तिथि अर्थात् 08/06/1999 तक 'सेवावधि' मानते हुए उनको आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए निदेश दिया। दिसंबर 2017 में आपत्ति याचिका फाइल की गई थी। दि. 08.12.2017 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।
4	रिट याचिका सं. 44715-16/2016 श्री एच. एस. वासु और अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ताओं (सीसीआरआई के स्थाई श्रमिक) ने माननीय न्यायालय से उनकी वरीयता के अपश्रेणीकरण को अवैध घोषित करने तथा दि. 03.08.2016 के उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने, एमटीएस संवर्ग की 34 रिक्तियों में से 2 पदों को न भरने के लिए अंतरिम आदेश निकालने का अनुरोध भी किया। इस संबंध में, नवंबर 2018 के दौरान आपत्ति याचिका फाइल की गई थी। दि. 23.09.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।
5.	रिट याचिका सं. 2286-2287/2017 श्री जी. आनंदा व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वरीयता सूची में सम्मिलित अन्य कर्मियों से वरिष्ठ होने के बावजूद भी एमटीएस संवर्ग के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में, नवंबर 2018 के दौरान आपत्ति फाइल की गई थी। दि. 12.02.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।
6.	श्रीमती एम. चंद्रिका द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत अपील	श्रीमती चंद्रिका के अनुसूचित जनजाति होने से संबंधित उप आयुक्त जिला जाति सत्यापन समिति द्वारा पारित संशोधित आदेश पर अपील दायर किया गया है। वाद-प्रतिवाद पूरा हो गया है। आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।	लंबित है।
7.	रिट याचिका सं. 6320/2017 श्री एम. के. रवींद्रा कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि अनुसंधान विभाग के फार्मों में कार्यरत स्थाई मजदूरों में से बहु-कार्य स्टाफ (एम टी एस) संवर्ग के पद भरते समय उनके आवेदन पर विचार किया जाए। दि.14.06.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले अगली सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

8.	रिट याचिका सं. 44378/2017 श्री के. जयरामा बल्याया कर्नाटक उच्च न्यायालय	अनुशासनिक प्राधिकरण के पदच्युति आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तन करने से संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के आदेश पर अपील दायर किया। आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। सूचना जारी करने हेतु 22.03.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
9.	रिट याचिका सं. 26026/ 2010 में रिट अपील सं. 3509/2018 श्री के. एन. हनुमंतप्पा कर्नाटक उच्च न्यायालय	रिट याचिका में, अनुशासनिक प्राधिकरण के पदच्युति आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तन करने से संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के आदेश पर अपील दायर किया गया था, जिसका निपटान 21.08.2018 को किया गया था, उसके बाद बोर्ड ने रिट अपील फ़ाइल किया गया है। मामले प्रस्तुत करने व सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
10.	रिट याचिका सं. 33084/2018 श्रीमती वी. एम. सरस्वती सी बी आई एवं कॉफी बोर्ड	याचिकाकर्ता ने 19.02.2014 के एफ़आईआर एवं सीबीआई द्वारा फ़ाइल किए गए आरोप पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रति याचिका तैयार करने हेतु वकील को सभी संगत कागज़-पत्र सौंपे गए हैं। दि. 09.01.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
11.	रिट याचिका सं. 7180/2020 एस.टी. सोमशेखर कर्नाटक उच्च न्यायालय	कॉफी बोर्ड में स्थायी ड्राइवर पद के लिए अनुरोध।	लंबित है।
12.	रिट याचिका सं. 57/2021 टी.वी. नीलकंठन और अन्य	निर्वाचित कार्यालय पदों को धारण करने पर रिट याचिका 10560/2020 के स्थगन आदेश रद्द करने के संबंध में अपील।	लंबित है।
आंध्र प्रदेश			
13.	रिट याचिका सं. 38290/2014 के. रामय्या एवं अन्य 4, तिरुमला हैदराबाद उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि वे 1989 से 1999 तक इंडिया कॉफी हाउस, तिरुमला में अनियत मज़दूरों के रूप में नियमित काम किया था। उन्होंने अगस्त 2014 से आज तक वेतन के भुगतान एवं उसी वेतन पर आईसीएच में अनियत मज़दूरों के रूप में कार्य जारी रखने हेतु बोर्ड को निदेश देने का अनुरोध किया है। इसके विरुद्ध आपत्ति फ़ाइल की गई है। इस मामले में 12.12.2014 को अंतरिम आदेश पारित किया है। अन्य संबद्ध मामलों के साथ दि.03.08.2016 को इस मामले की सुनवाई हुई तथा श्रम उपायुक्त को आईसीएच का निरीक्षण करते हुए तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। तदनुसार, श्रम उपायुक्त ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामला आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

14.	रिट याचिका सं. 28817/2015 श्री एम. रमणा व अन्य 4 हाल में, हैदराबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश पर स्थानांतरित	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि वे 1989 से 1999 तक निरंतर इंडिया कॉफी हाउस, तिरुमला में अनियत मज़दूरों के रूप में नियमित काम किया था। उन्होंने आईसीएच में अनियत मज़दूरों के रूप में कार्य जारी रखने हेतु बोर्ड को निदेश देने का अनुरोध किया। इसके विरुद्ध आपत्ति फ़ाइल की गई है। मामले निपटान के लिए लंबित है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को अनियत मज़दूरों के रूप में जारी रखने हेतु प्रतिवादी की निदेश देते हुए दि.7.9.2015 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अन्य संबद्ध मामलों के साथ सुनवाई हुई।	लंबित है।
15	रिट याचिका सं. 759/2015 श्रम उपायुक्त, तिरुपति हैदराबाद उच्च न्यायालय	₹7,25,996/- के मांग किए गए बकाया मज़दूरी व दंड जमा करने का श्रम उपायुक्त का आदेश पर बोर्ड ने अपील दायर किया। आपत्ति फ़ाइल की है। मामले निपटान के लिए लंबित है। इसे अन्य तीन रिट याचिकाओं के साथ संबद्ध किया गया है।	लंबित है।
16	सीसी सं. 1986/15 श्री के. रामय्या एवं अन्य 4, तिरुमला हैदराबाद उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए निंदा याचिका फ़ाइल की है कि बोर्ड अगस्त 2014 से बकाया मज़दूरी के भुगतान से संबंधित रिट याचिका सं. 38290/14 द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन में असफल रहा है। अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामले निपटान के लिए लंबित है। रिट याचिका सं. 38290/2014, रिट याचिका सं. 28817/2015, रिट याचिका सं. 759/2015 जैसे तीन रिट याचिकाओं के साथ मामले को संबद्ध किया गया है।	लंबित है।
17	रिट याचिका सं. 37336/2013 श्री कुनुकु लक्ष्मीनारायणा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष पहुँचने पर अर्थात् दि.30.6.2013 को बोर्ड की सेवाओं से दि.28.06.2013 की कार्रवाई के तहत निवृत्त करने पर उन्होंने आपत्ति जताई और इस रिट याचिका फ़ाइल की। उन्होंने 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने हेतु बोर्ड को निदेश देने की प्रार्थना की। आपत्ति विवरण फ़ाइल की है। मामले जाँच व आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।	लंबित है।
18.	रिट याचिका सं. 3284/2001 एमएफ़ए (एस आर) सं. 23678/ 2010 रिट अपील सं. 2499/2013 श्री आर. मुनस्वामी तमिल नाडु उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता श्री मुनस्वामी के एसीआई के रूप में कार्य करते थे। कॉफी स्टॉक के दुरुपयोग करने के संबंध में बोर्ड उन पर आरोप पत्र लगाया था। अतिरिक्त पूछ-ताछ के बाद, बोर्ड ने उनकी एक वेतन वृद्धि को रोक रखने के साथ ₹1,76,563.85/- की राशि की वापस करने का दंड लगाया था। भारत सरकार के समक्ष अपील फ़ाइल की थी। भारत सरकार ने उसे तिरस्कृत किया था। बोर्ड/ भारत सरकार द्वारा लगाए गए दंड के विरुद्ध मुनस्वामी ने अपील किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23.10.2009 के आदेश द्वारा रिट याचिका की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, बोर्ड ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने पर प्राथमिकता दी। मामले आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।



19.	<p>रिट याचिका सं. 7286/2014 श्री आर जोसफ विलियम जयकरन तमिल नाडु उच्च न्यायालय (1) यूनीयन ऑफ इंडिया (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय), नई दिल्ली (2) सचिव, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय (3) अध्यक्ष/ डीए, कॉफी बोर्ड (4) सचिव, कॉफी बोर्ड</p>	<p>याचिकाकर्ता ने प्रमाणित परमादेश की रिट या किसी अन्य प्रकार का समुचित रिट आदेश या संदर्भ सं. 1/9/1994-प्लांट (बी) दिनांक 10/3/2004 के संबंध में प्रतिवादी-2 के अभिलेखों को माँगने का निदेश जारी करने हेतु माननीय न्यायालय से प्रार्थना की। इसके साथ ही, संदर्भ सं. प्रशा/स्था/2002-03/5790 दिनांक 27/29-01-2003 के तहत प्रतिवादी-4 के कार्यालय आदेश को समापन कर रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिवादी-3 को निदेश देने को प्रार्थित किया है कि याचिकाकर्ता को बकाया वेतन, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, पेंशनरी लाभ एवं पेंशन आदि को शामिल कर सभी आर्थिक व उपस्थिति लाभ प्रदान किया जाए तथा दिनांक 03.08.1992 से 03.03.2002 तक के याचिकाकर्ता के 10 वर्षों की निलंबन अवधि को कार्य अवधि माना जाए तथा ऐसा आदेश या न्याय के हित में आवश्यक आदेश पारित किया जाए। आपत्ति फ़ाइल की गई।</p> <p>29.11.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। मामले सुनवाई एवं निपटान के लिए लंबित है।</p>	लंबित है।
केरल			
20.	<p>रिट याचिका सं. 25402/ 2015, रिट याचिका सं. 25428/ 2015 और रिट याचिका सं. 25666/ 2015 श्री सी. के. शिवन, श्रीमती ग्लाडिस डेनिएल और श्री यू.पी. प्रसन्न कुमार केरल उच्च न्यायालय</p>	<p>याचिकाकर्ताओं ने 37 कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों को भरने हेतु जारी की गई दि.15.8.2015 की कार्यवाही पर अपील करते हुए, विलयन व निविलयन के संबंध में दि.20.7.2015 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, इन रिट याचिकाओं का दायर किए गए थे।</p> <p>बोर्ड ने आपत्ति विवरण दायर किया। न्यायालय में मामले पर सुनवाई के बाद निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>22.09.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामला सुनवाई/ निपटान के लिए लंबित है।</p>	लंबित है।
21.	<p>रिट याचिका सं. 36713/ 2015, रिट याचिका सं. 28342/ 2015, रिट याचिका सं. 27811/ 2015 श्री यू. पी. प्रसन्न कुमार, श्री बाबु के. दामोदरन व श्रीमती ग्लाडिस डेनिएल केरल उच्च न्यायालय</p>	<p>याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों (20 पदों) को भरने हेतु दि.29.10.2015 का विज्ञापन पर अपील किया।</p> <p>बोर्ड ने आपत्ति विवरण फ़ाइल किया। न्यायालय में मामले पर सुनवाई हुई।</p> <p>मामले सुनवाई के लिए लंबित है।</p>	लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

22.	रिट याचिका सं. 23992/2016 श्री यू. पी. प्रसन्न कुमार केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने विलय व निविलयन के संबंध में 20.7.2015 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार, 20 कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के पदों को भरने हेतु जारी 12.7.2016 की कार्यवाही पर अपील करते हुए रिट याचिका दायर की थी। मामले के तथ्य अधिवक्ता को सौंपे गए हैं। मामले अगली सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
23.	रिट याचिका सं. 2671/2016 कॉफी बोर्ड कर्मचारी संघ, केरल केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि व्यापार संघ अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की निकासी या निरस्त करने से पूर्व नोटिस यानी एक्सपी20 का स्थगन आदेश पारित करें। बोर्ड द्वारा आपत्ति फ़ाइल की है। दि. 26.07.2016 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
24	रिट याचिका सं. 15195/2013 के. अब्दुल्ला केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ता ने अनुशासनिक कार्यवाही पर अपील किया। अनुशासनिक कार्यवाही पूरी होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकारी के अंतिम आदेश पारित करते हुए रिट याचिका के निपटान के लिए अधिवक्ता से अनुरोध किया गया है। बोर्ड द्वारा आपत्ति फ़ाइल की है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आदेश पारित होने के कारण न्यायालय से मामले के निपटान के लिए प्रार्थना की है। दि. 20.6.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई थी और अंतिम निपटान की गई।	लंबित है।
25.	रिट याचिका सं. 578/2021 श्री जा. रघुनाथन, (सेवानिवृत्त)	याचिकाकर्ता ने दि. 29.08.2008 को सेवानिवृत्त होने के बाद अपने पेंशन के निपटान में विलंब होने के लिए दावे से संबंधित रिट याचिका 4120/2014 में बोर्ड याचिकाकर्ता को 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का निदेश पर पारित आदेश के विरुद्ध रिट अपील दायर किया।	लंबित है।



न्यायालय के विचाराधीन लंबित मामले - (अन्य मामलों की संख्या - 16)

कर्नाटक

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति	अभ्युक्तियाँ
1.	ओ. एस. सं. 4959/2016 श्रीमती अस्मत्तुनीसा व अन्य सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर	वादी ने मिल्लर्स रोड एवं कॉफी कोर्ट को संपर्क करने वाले उनके भवन में स्थित अनुसूची 'बी' संपत्ति में प्रतिवादी और उनके एजेंट्स के चौपहिया/ दुपहिया के पार्किंग को स्थाई रूप से रोकने के लिए स्थाई इंजंक्शन के रूप में निर्णय एवं डिक्री पारित करने और जैसे उपयुक्त समझे, राहत देने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी द्वारा आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया। मामले पर 17.1.2017 को सुनवाई। बोर्ड के साक्ष्य की प्रतीक्षा है। आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।	लंबित है।
2.	ओ. एस. सं. 1578/2017 श्री संदीप दास, शारदा सुब्रमणियम एवं अन्य 8 तथा प्रतिवादी-9 के रूप में कॉफी बोर्ड, सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर	प्रतिवादी को ₹254.27 करोड़ के भुगतान हेतु निदेश देने की प्रार्थना की गई है। लेकिन, बोर्ड ने कोई माँग नहीं रखी। जून 2018 के दौरान आपत्ति फ़ाइल की गई। बोर्ड के साक्ष्य रिकार्ड करने हेतु लंबित है।	लंबित है।
3.	रिट याचिका सं. 43798/ 2016 बी.बी.एम.पी आयुक्त व अन्य 2, कर्नाटक उच्च न्यायालय		लंबित है।
4.	रिट याचिका सं. 17126-17127/2013 सर्वश्री बी. पी. यज्ञेश्वर व पूर्विका कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूर	याचिकाकर्ता ने दावा की है कि प्रतिवादी एसबीएम बैंक, मुडिगेरे ने उनके द्वारा ली गई उधार सुविधा के लिए अधिक दर का ब्याज वसूल किया है। बैंक ने ब्याज के रूप में ₹13,00,000/- के स्थान पर ₹26,10,542/- के भुगतान की माँग की है। सूचना के स्थगन से संबंधित अंतरिम आदेश पारित किया गया है। कॉफी बोर्ड एवं यू ओ आई द्वारा आपत्ति फ़ाइल की गई है। दि.16.04.2019 को आंशिक सुनवाई हुई है। मामला आगे की सुनवाई हेतु लंबित है।	लंबित है।
5.	मेसर्स कॉफी बोर्ड द्वारा फ़ाइल किया गया रिट याचिका सं. 16443-16480/ 2015 श्री के. एम. जय कुमार व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूर	याचिकाकर्ताओं ने मेसर्स कोडगु जिला सहकारी बैंक, मडिकेरी से गृह निर्माण ऋण लिया था तथा यह प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को कॉफी ऋण राहत पैकेज, 2010 के अधीन लाभ प्रदान करने हेतु न्यायालय निदेश दिया जाए। आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। दि. 15.02.2019 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई व निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

6.	रिट याचिका सं. 15148/ 2017 मेसर्स फ़ोर्च्यून एग्रो इंपेक्स, बेंगलूरु कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	संस्था को काली-सूची में डालने के लिए 06.10.2016 का आदेश निरस्त करते हुए व नकदीकृत बैंक गारंटी की वापसी के निदेश देने की प्रार्थना की है। आपत्ति विवरण फ़ाइल किया गया है। दि.19.02.2018 को मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। मामले आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
7.	रिट याचिका सं. 17061/2018 पी. एम. तिममय्या व अन्य 3 कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	सीडीआरपी मामला दि. 07.02.2019 को अंतिम सुनवाई हुई। मामले सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
8.	रिट याचिका सं. 9159/2019 डी.टी. राजू व अन्य	सीडीआरपी मामला सूचना जारी करने हेतु 04.04.2019 को अंतिम सुनवाई हुई है।	लंबित है।
9.	सीसीसं. 86/18 व 11 अन्य सीसीसं. 05/18 व अन्य 2 टी.डी. मंजेगौड़ा व अन्य	वर्षा बीमा के अधीन ₹25,000/- क्षतिपूर्ति एवं 18% ब्याज के साथ ₹28,000/- की मांग। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
10.	रिट याचिका सं. 7521/2020 ए एन अशोक व अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु	सीडीआरपी मामला।	लंबित है।
11.	रिट याचिका सं. 14712/2020 सी.पी. धर्मप्रकाश और अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय	सीडीआरपी मामला।	लंबित है।



12.	<p>रिट याचिका सं. 10730/2007 उप निदेशक (अनु.), तांडीगुड़ी दिनांक 6.12.2006 को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण- श्रम न्यायालय, चेन्नई द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध श्रीमती एच. जानकी, सेवानिवृत्त दैनिक मजदूर</p>	<p>श्रीमती एच. जानकी ने तांडीगुड़ी में दि. 10.07.72 को मजदूर के रूप में कार्य ग्रहण किया था। उनको 31.12.2002 को अधिवर्षिता प्राप्त हुई। उन्होंने यह दावा की है कि उनकी अधिवर्षिता फरवरी 2014 को ही है। उन्हें बोर्ड की सेवा से अवधि पूर्व सेवानिवृत्ति दी गई है। उन्होंने बकाया वेतन बहाली करने के लिए श्रम न्यायालय, चेन्नई के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। श्रम न्यायालय ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया। बोर्ड ने चेन्नई उच्च न्यायालय में इस आदेश पर अपील किया था। उच्च न्यायालय ने 19.3.2008 के अपने आदेश द्वारा बोर्ड को याचिका के निपटान तक उन्हें ₹1600/- का मासिक वेतन के भुगतान का आदेश दिया। अब वह सेवानिवृत्त हो गई हैं तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मामले के निपटान के लिए अधिवक्ता को अनुस्मारक भेजा गया है।</p> <p>मामले के शीघ्र निपटान के लिए बोर्ड ने अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया।</p> <p>मामले को मध्यस्थता परिषद को सौंपा गया था। बोर्ड ने पूर्ण व अंतिम निपटान के रूप में ₹76,426/- के भुगतान का प्रस्ताव रखा, लेकिन वादी ने स्वीकार नहीं किया। मामले निपटान के लिए लंबित है।</p>	<p>लंबित है।</p>
13.	<p>सीएमपी. सं. 58/2018 व सहा.सचिव (से.अ) ओएस सं. 2136/2015 में सं. 64599/2018 कॉफी बोर्ड बनाम एक्सप्रेस प्रकाशन प्रधान सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई</p>	<p>डिक्री की तिथि 01.03.2017 तक 24% ब्याज के साथ ₹5,38,735/- के भुगतान तथा उसके बाद 6% का भुगतान के निदेश पर अपील किया।</p>	<p>लंबित है।</p>

वित्त निदेशक



केरल

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य और अद्यतन	अभ्युक्तियाँ
1.	आई डी सं. 5/2015 मलबार एस्टेट वर्कर्स यूनियन डआईएनटीयूसी.व अन्य क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन, चुंडेल केरल उच्च न्यायालय	याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि मजदूरी एवं सेवा संबंधी मामलों में केंद्रीय व राज्य सरकार के दोनों पैटर्नों का अनुपालन करते हुए सीआरएस स्टाफ व बागान कार्मिकों के बीच अलग तरह से व्यवहार करने वाले आरसीआरएस, चुंडेल के प्रबंधन का विवाद स्थगित करने हेतु आदेश पारित करें तथा इस विवाद में पड़े 38 बागान मजदूरों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया फ़ाइल की गई। मध्यस्थता को मामला संदर्भित किया गया है तथा न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।
2.	राज्य आयोग के समक्ष अपील सं. 7/2015; राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आर.पी.सं. 3438 /2018 श्री के. एम. जोसफ राज्य उपभोक्ता फोरम, तिरुवनंतपुरम	सीडीआरपी मामला - जिला फोरम के आदेश पर अपील किया। अपील के तिरस्कार के बाद, श्री के. एम. जोसफ ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष संशोधन याचिका फ़ाइल की। बोर्ड की ओर से सुश्री सोरज बिदावत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं। यह 21.06.2018 को तिरस्कृत हुआ है। संशोधन याचिका राष्ट्रीय आयोग के समक्ष निपटान के लिए लंबित है। 09.05.2019 को प्रस्तुत करने के लिए लंबित किया गया।	लंबित है।



नई दिल्ली

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त तथ्य और अद्यतन	अभ्युक्तियाँ
	आर. पी. सं. /2017 श्री जोस व श्री रॉय राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली	शिकायत स्वीकार करते हुए बोर्ड की अपील तिरस्कृत करने के बाद दि.30.11.2016 के राज्य आयोग के आदेश (सामान्य आदेश) पर आपत्ति उठाते हुए अपील फ़ाइल की है। उसके आगे, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील फ़ाइल की है। मामले पर अंतरिम स्थगन प्राप्त हुआ है तथा सुनवाई के लिए लंबित है।	लंबित है।



31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कॉफी बोर्ड पूल निधि
की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा

पूल निधि लेखा विषय सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	55
2	आय एवं व्यय लेखा	56
3	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ	57 - 59
4	आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियाँ	60
5	प्राप्ति एवं अदायगी लेखा	61
6	जमाओं का विवरण	62
7	सार्थक लेखांकन नीतियाँ	63
8	आनुषंगिक देयताएँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	64 - 66

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलतः अंग्रेज़ी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इस प्रतिवेदन में कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेज़ी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को यथास्थिति तुलनपत्र

(₹ में)

I	कॉर्पस/पूँजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची सं.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	14,90,79,860	14,49,64,156
2	आरक्षित एवं अधिशेष	2		
3	चिह्नित/अक्षय निधि	3		
4	सुरक्षित ऋण एवं उधार	4		
5	असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		
6	आस्थगित ऋण देयताएं	6		
7	चालू देयताएं व प्रावधान	7	31,901	4,73,596
	योग		14,91,11,761	14,54,37,752
II	परिसंपत्तियाँ			
1	अचल परिसंपत्तियाँ	8	1,16,53,956	1,19,00,333
2	चिह्नित/अक्षय निधियों से निवेश	9		
3	अन्य निवेश	10		
4	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	13,74,57,805	13,35,37,419
5	विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाला गया या समायोजित)			
	योग		14,91,11,761	14,54,37,752
III	सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
IV	अनुषंगिक देयताएं व लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड, बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

(₹ में)

I	आय	अनुसूची सं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	बिक्री/सेवाओं से आय	12		
2	अनुदान/सब्सिडी (भारत सरकार से)	13		
3	शुल्क/अभिदान	14		
4	निवेशों से आय (चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश पर आय-निधियों को अंतरित)	15		
5	अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय	16		
6	अर्जित ब्याज	17	45,43,048	52,65,441
7	अन्य आय	18	3,58,315	1,68,014
8	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) तथा प्रगतिशील कार्य	19	-	
	योग (क)		49,01,363	54,33,455
II	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20		
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	5,39,282	10,48,984
3	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		
4	ब्याज	23		
5	मूल्यहास - (वर्ष के अंत में निवल योग अनुसूची 8 को संगत)		2,46,377	2,52,354
	योग (ख)		7,85,659	13,01,338
III	व्यय पर आय की अधिकता से शेष (क-ख)		41,15,704	41,32,117
	कार्पस निधि को अग्रनीत अधिशेष		41,15,704	41,32,117
IV	सार्थक लेखांकन नीतियाँ	24		
V	अनुषंगिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

अनुसूची 1: कॉर्पस/पूँजीगत निधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष 01.04.2020 के प्रारंभ में शेष राशि	14,49,64,156	14,08,32,039
जोड़ें : कॉर्पस/पूँजीगत निधि के लिए योगदान		
जोड़ें: आय व व्यय लेखा से अंतरित निवल आय के शेष	41,15,704	41,32,117
वर्ष के अंत में शेष	14,90,79,860	14,49,64,156
अनुसूची 2: आरक्षित एवं अधिशेष	शून्य	शून्य
अनुसूची 3: चिह्नित/अक्षय निधि	शून्य	शून्य
अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण एवं उधार	शून्य	शून्य
अनुसूची 5: असुरक्षित ऋण एवं उधार	शून्य	शून्य
अनुसूची 6: आस्थगित जमा देयताएँ		
पूँजीगत उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के आडमन द्वारा प्राप्त की गई स्वीकृतियाँ	शून्य	शून्य
अनुसूची 7: चालू देयताएँ		
क) कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण (देय)		
ख) अन्य चालू देयताएँ	4,399	4,399
ग) सुरक्षा - पहरा व निगरानी (देय)	-	4,41,695
घ) प्रतिभूति जमा	27,502	27,502
योग	31,901	4,73,596

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को यथास्थिति तुलन पत्र के भाग की अनुसूची

अनुसूची सं.8 : अचल परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

क्र.सं.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में यथास्थिति मूल्य/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के अंत में यथास्थिति मूल्य/ मूल्यांकन	01.04.2020 के आरंभ में यथास्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	दि 31.03.2021 को समाप्त वर्ष तक योग	चालू वर्ष की समाप्ति को यथास्थिति (31.03.2021)	पिछले वर्ष की समाप्ति को यथास्थिति (31.03.2020)
			I अर्ध वर्ष	II अर्ध वर्ष योग							
1	भवन	1,45,01,217			1,45,01,217	27,05,516	2,35,914		29,41,430	1,15,59,787	1,17,95,701
2	फर्नीचर व फ़िक्स्चर्स	1,01,408			1,01,408	69,584	3,182		72,766	28,642	31,824
3	कार्यालय/ प्रयोगशाला उपस्कर	2,32,012			2,32,012	1,59,204	7,281		1,66,485	65,527	72,808
	योग	1,48,34,637			1,48,34,637	29,34,304	2,46,377		31,80,681	1,16,53,956	1,19,00,333

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग की अनुसूची

(₹ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 9: चिह्नित/ अक्षय निधि से निवेश आरक्षित एवं अधिशेष	शून्य	शून्य
अनुसूची 10: निवेश - अन्य	शून्य	शून्य
अनुसूची 11: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		
क. चालू परिसंपत्तियाँ		
1. वस्तु सूची:		
2. विविध देनदार:		
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में:		
चालू खाते पर	1,84,366	9,84,100
सावधि जमा खाते पर	7,80,00,000	7,25,00,000
योग (क)	7,81,84,366	7,34,84,100
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		
1. ऋण		
2. नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य मूल्य हेतु वसूलीय अग्रिम एवं अन्य रकम		
क) फ्लेक्सी जमा पर टी डी एस (बैंक द्वारा प्रत्यावर्तित)		
ख) आर सी डब्ल्यू, मेट्रोपालयम		
ग) कोडगु कॉफी उपजकर्ता सहकारी समिति, मडिकेरी	5,57,29,725	5,57,29,725
घ) मुकदमा पर लागत (कोडगु कॉफी उपजकर्ता सहकारी समिति, मडिकेरी)	6,55,430	6,55,430
3. उपचित आय (जमा पर ब्याज)	28,58,743	36,40,098
4. दावे - प्राप्य राशियाँ		
क. लाइसेन्स शुल्क (प्राप्य)	29,541	28,066
ख. गैर-योजना से प्राप्य		
ग. स्कंदा से प्राप्य राशि		
योग (ख)	5,92,73,439	6,00,53,319
योग (क + ख)	13,74,57,805	13,35,37,419

उप सचिव (लेखा)



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय का भाग की अनुसूचियाँ

(₹ में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 12: बिक्री/सेवाओं से आय	शून्य	शून्य
अनुसूची 13: अनुदान / सब्सिडी	शून्य	शून्य
अनुसूची 14: शुल्क/ अभिदान	शून्य	शून्य
अनुसूची 15: निवेश से आय (चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश पर आय, निधियों को अंतरित)	शून्य	शून्य
अनुसूची 16: रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	शून्य	शून्य
अनुसूची 17: अर्जित ब्याज		
मीयादी जमा पर		
अनुसूचित बैंकों में - जमा	45,43,048	52,65,441
बचत खाते पर		
ऋणों पर		
देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		
योग	45,43,048	52,65,441
अनुसूची 18: अन्य आय		
लाइसेन्स शुल्क	3,58,315	1,68,014
विविध प्राप्तियाँ		
योग	3,58,315	1,68,014
अनुसूची 19: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (कमी) तथा प्रगतिशील कार्य	शून्य	शून्य
अनुसूची 20: स्थापना व्यय	शून्य	शून्य
अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
संपत्ति कर	79,953	
बैंक प्रभार	649	649
सुरक्षा पहरा व निगरानी	4,58,680	10,48,335
योग	5,39,282	10,48,984
अनुसूची 22: अनुदान / सब्सिडियों पर व्यय	शून्य	शून्य
अनुसूची 23: ब्याज	शून्य	शून्य

उप सचिव (लेखा)



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

काँफ़ी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्तियाँ एवं अदायगियाँ लेखा

(₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष			I. व्यय		
क) हस्तगत रोकड			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	9,80,977.00	16,05,465.00
i) चालू खाते में	9,84,099.57	23,39,796.57	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किए गए अदायगियाँ		
ii) जमा खाते में	7,25,00,000.00	700,00,000.00	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों का विवरण के साथ निधि या परियोजना का नाम का उल्लेखित करें)		
iii) फ्लेक्सी जमा			III. किए गए निवेश एवं जमा		
II. प्राप्त अनुदान			क) चिह्नित/अक्षय निधियों से		
क) भारत सरकार से			ख) निजी निधियों से (निवेश-अन्य)		
ख) राज्य सरकार से			IV. अचल परिसंपत्तियों व प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		
(पूँजीगत व राजस्व व्यय से संबद्ध अनुदान को अलग से दिखाएँ)			ख) प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय		
III. निवेशों से आय			V. अधिशेष धन/ ऋण का प्रतिदाय		
क) चिह्नित/अक्षय निधियों से			क) भारत सरकार को		
ख) निजी निधियों से (अन्य निवेशों से)			ख) राज्य सरकार को		
IV. प्राप्त ब्याज			VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
क) बैंक जमा पर	53,24,403.00	26,03,425.00	VII. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)		
ख) फ्लेक्सी जमा पर ब्याज			क) तमिल नाडु को क्रय कर का भुगतान		
V. अन्य आय (उल्लेखित करें)			ख) अन्य भुगतान - टीडीएस	10,186.00	20,444.00
क) अन्य आय / लाइसेन्स शुल्क	3,56,840.00	1,46,343.00	विविध प्राप्तियाँ	20,000.00	
ख) विविध प्राप्तियाँ			ग) निधि का अंतरण- योजना		
VI उधार ली गई राशि			घ) मीयादी जमा		
VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (विवरण दें)			ड) गैर-योजना को देय		
क) सावधि जमा खाता (परिपक्वता)			VIII. अंत शेष		
ख) निधि का अंतरण- योजना/ गैर-योजना			क) हस्तगत रोकड		
ग) अन्य टीडीएस	10,186.00	20,444.00	ख) बैंक शेष		
विविध प्राप्तियाँ	20,000.00		i) चालू खाते में	1,84,365.57	9,84,099.57
घ) गैर-योजना से प्राप्त			ii) जमा खाते में	7,80,00,000.00	7,25,00,000.00
ड) स्कंदा से प्राप्त			iii) बचत खाते में		
योग	7,91,95,528.57	7,51,10,008.57	योग	7,91,95,528.57	7,51,10,008.57

उप सचिव (लेखा)

उप निदेशक (लेखा)

वित्त निदेशक



कॉफी बोर्ड : बेंगलूरु
पूल निधि लेखा
वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए मीयादी जमाओं का विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अवधि	ब्याज दर	राशि	31-03.2021 को उपचित ब्याज
1	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	28.07.2020 से 28.07.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	7,19,047
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	29.07.2020 से 29.07.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	7,16,140
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	30.07.2020 से 30.07.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	7,13,232
	इंडियन ओवरसीस बैंक, कंटॉन्मेन्ट शाखा, बेंगलूरु	31.07.2020 से 31.07.2021 तक	5.40%	1,95,00,000	7,10,324
	महा योग			7,80,00,000	28,58,743

उप सचिव (लेखा)



अनुसूची 24 - लेखांकन नीतियाँ

1. कॉफ़ी अधिनियम 1942 की धारा 7 के अनुसार, कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत है। कॉफ़ी अधिनियम 1942 के अनुसार पूल निधि का सृजन किया गया था। वर्ष 1991-94 के दौरान उपजकर्ताओं को 100% एफ.एस.क्यू (मुक्त विक्रय कोटा) के कार्यान्वयन पर बोर्ड के विपणन कार्यकलापों को समाप्त किया गया है। अंतिम पूलिंग सीजन 1994-95 के दौरान, अंतिम पूल भुगतान किया गया था। यद्यपि 100% एफ.एस.क्यू दिया गया था फिर भी, कॉफ़ी का पूलिंग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कॉफ़ी अधिनियम का संशोधन नहीं किया गया है, अतः पूल निधि लेखा अलग से दर्शायी गई है।
2. भारत सरकार की 'सामान्य लेखा प्रारूप समिति' द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपचित आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
3. भारत सरकार के विशेषज्ञों की समिति द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप पर रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए लेखा की सभी अनुसूचियों में अलग-अलग मदों को पुनः समूहित किए गए हैं।
4. अधिग्रहण अथवा निर्माण के लागत से संचयित मुल्यहास घटाकर अचल परिसंपत्तियों की गणना की जाती है।
5. परिसंपत्तियों को निम्नलिखित दरों पर मुल्यहास किया गया है क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (29) के अधीन आयकर क्षेत्र से पूर्णतः छूट प्राप्त हुई है तथा बोर्ड पर किसी भी कर निर्धारण का दायित्व नहीं है।

परिसंपत्तियों की प्रकृति	मुल्यहास की दर
क) भवन	2% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति
ख) फर्नीचर व फ़िक्स्चर्स, कार्यालय उपस्कर तथा वाहन	10% प्रति वर्ष - हासित मूल्य पद्धति

उप सचिव (लेखा)



अनुसूची 25 - आनुषंगिक देयताओं के साथ लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. क्रय कर/ विक्रय कर हेतु प्रावधान :

- क) माननीय केरल उच्च न्यायालय ने बोर्ड के कुल ₹44.81 करोड़ (क्रय कर के लिए ₹2.16 करोड़ + केंद्रीय विक्रय कर के लिए ₹42.65 करोड़) के दावे को नियमानुसार सत्यापन करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया और इसके समाधान के लिए प्रयास जारी हैं। बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय ने शीघ्र निपटान के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। माँग पर विवाद होने के कारण वह मामला न्यायाधीन है, इसलिए लेखाओं में शामिल नहीं किया गया है। जबकि मामला न्यायाधीन है, केरल सरकार के वाणिज्यिक कर प्राधिकारियों ने सहायक सचिव, इंडिया कॉफी हाउस, गुरुवायूर, केरल द्वारा संचालित की जाने वाली बैंक खाता सं 57019411408 को जब्त की तथा 18.03.2015 को उनके द्वारा ₹4,47,913.00 की रकम आहरित की गई।
- ख) तमिलनाडु के संबंध में, भुगतान के लिए कोई भी माँग लंबित नहीं है। तथापि, देयों के निपटान के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग, तमिल नाडु से औपचारिक पुष्टि आदेश अपेक्षित है।
- ग) बोर्ड द्वारा मेसर्स कोडगू कॉफी ग्रोअर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी, मडिकेरी के विरुद्ध ₹1,55,28,034.00 के स्टॉक के मूल्य, ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए फ़ाइल की गई सिविल मुकदमा का निर्णय दि.12.09.2014 को कॉफी बोर्ड के पक्ष में सुनाया गया। अभिकर्ता ने ब्याज सहित न्यायालय लागत ₹5.64 करोड़ की राशि को अधित्याग करने के अनुरोध करते हुए दिनांक 22.12.2015 को स्टॉक के मूल्य का भुगतान किया। बोर्ड ने इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय को सलाह के लिए भेजा है। हालाँकि, लेखा परीक्षा की सलाह के अनुसार, इस राशि को वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों के तहत रखी गई है। मंत्रालय से किसी भी प्रकार के निदेश प्राप्त न होने पर इस रकम को प्राप्तियों के अंतर्गत दिखाई जा रही है।



लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वार्षिक लेखा 2020-21

न्यायालय में लंबित व न्यायाधीन मामलों की सूची :

मुकदमेबाज़ी से संबंधित निम्नलिखित न्यायालयीन मामले, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक, बेंगलूरु/ सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूरु में लंबित हैं। ये मामले पूलित कॉफी के पूल एजेंट्स से संबंधित हैं जो 1994-95 से पूर्व पूल एजेंट द्वारा वापस नहीं किया गया है। ऐसे मामलों की सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	रकम	संक्षिप्त तथ्य एवं अद्यतन स्थिति	अभ्युक्तियाँ
1.	मेसर्स. रहमानिया कॉफी वर्क्स, मेट्टुपालयम - ओ.एस. नं. 5298/91	₹1,48,18,252.00	प्रतिवादी को मुकदमा मूल्य के भुगतान का निदेश देते हुए बोर्ड के पक्ष में मुकदमा निर्णय (02.01.2013) हुआ था। देय ब्याज सम्मिलित करने में न्यायालय असमर्थ होने के कारण बोर्ड ने सिटी सिविल न्यायालय में अर्जी फ़ाइल की। उसी समय, प्रतिवादी ने डिक्री पर अपील करते हुए कर्नाटक के उच्च न्यायालय में आरएफ़ए भी फ़ाइल किया है। मामले आगे की सुनवाई एवं निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है
2.	मेसर्स कॉफी क्यूरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, (कोप्पा) लि. मुकदमा सं. 6151/1998	₹19,08,000/- ब्याज के साथ	मेसर्स कॉफी क्यूरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, (कोप्पा) लि. के विरुद्ध मूल मुकदमा फ़ाइल की गई थी। मुकदमा सं. 6151/1998 (वर्तमान में मेसर्स स्कंदा रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) कॉफी बोर्ड के पक्ष में डिक्री हो गया था तथा वर्ष 2017-18 के दौरान डिक्री के अनुसार कॉफी बोर्ड को ब्याज सहित देय निपटारा हो गया था।	लंबित है
	मेसर्स न्यू इंडिया अश्यूरेंस, बॉम्बे एवं बेंगलूरु		हालांकि, द्वितीय व तृतीय प्रतिवादी मेसर्स न्यू इंडिया अश्यूरेंस, क्रमशः बॉम्बे व बेंगलूरु, पूल एजेंट के लिए गारंटर होने के नाते, ₹19,08,000.00 की राशि का भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक के समक्ष आरएफ़ए सं. 1427/17 में अपील दायर की है। यह मामला सुनवाई / निपटान के लिए लंबित है।	लंबित है

- क) मेसर्स तंगम कॉफी क्यूरिंग वर्क्स के मुकदमा बोर्ड के विरुद्ध निपटारा किया गया है। बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दायर करने पर विचार किया जा रहा है। (₹50,60,306.00)
- ख) कॉफी बोर्ड ने वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 के लिए किराए के रूप में प्राप्त आय पर ₹86,59,746/- के सेवा करारोपण पर सेवा कर न्यायाधिकरण में दिनांक 08.05.2015 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है। बोर्ड ने 'सपका विकास' स्कीम का



चयन करते हुए सेवा-कर ₹31,64,037/- को निपटान किया गया है।

सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए संगठनों से निम्नलिखित राशि प्राप्य है:

1. केएनएनएल	= ₹ 25,30,571.00
2. महालेखाकार लेखापरीक्षा	= ₹ 16,62,106.00
3. आईसीटीए	= ₹ 3,594.00
4. भारती इंफ्राटेल लिमिटेड	= ₹ 50,983.00
5. सीबीईसीएचएस	= ₹ 12,818.00
6. सीबीईसीएस	= ₹ 12,012.00
7. अन्य	= ₹ 7,880.00

कुल = ₹ 43,29,873.00

ग) वर्ष 2014-15 के लिए अनुलाभ के मूल्य पर आयकर : सीआईटी, अपील, बेंगलूरु के दिनांक 29.03.2019 के आदेशानुसार बोर्ड को ₹.1,86,406.00 रुपए का प्रतिदाय प्राप्त होना है।